# नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 1—4—2013 से 31—3—2015

## भाग—एक

### 1 प्रारम्भिक

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1—376 / 81—फिन(एल0ए0)खण्ड—पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओ का अंकेक्षण कार्य किया गया।

**वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :—**

| अवधि | अध्यक्ष का नाम | कार्यकारी अधिकारी का नाम |
|---|---|---|
| 1—4—2013 से 31—3—2015 | श्रीमती भारती अग्रवाल | श्री सुरत सिंह नेगी |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :—**

| क्रमांक | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | पैरा संख्या | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1) | दिनांक 31.3.2015 तक अनुदान की धनराशि व्यय / उपयोग हेतु शेष | 5(1) | 293.89 |
| 2) | अनुदान से वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक राशि व्यय करना | 5(2) | 242.03 |
| 3) | गृह व सफाई कर की राशि वसूली हेतु शेष | 9 | 260.75 |
| 4) | दुकानों के किराए की राशि वसूली हेतु शेष | 10 | 43.94 |
| 5) | व्यापार लाईसैंस शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष | 11 | 0.46 |
| 6) | अस्थाई अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष | 12 | 0.93 |
| 7) | मोबाईल टावर शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष | 16 | 2.05 |
| 8) | भवन निर्माण नक्शा पारित देय शुल्क की कम वसूली करना | 17 | 2.07 |
| 9) | नगरपालिका निधि से पैन्शन एवं उपदान निधि के लिए अनियमित हस्तांतरण / अधिक भुगतान | 19 | 136.62 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10) | अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों/खाली पदों के विरूद्ध पैन्शन व उपदान का अनियमित भुगतान | 20 | 1.35 |
| 11) | सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना सामान्य भविष्य निधि से अनियमित भुगतान | 21 | 5.84 |
| 12) | सामान्य भविष्य निधि (CPS) खाताधारकों को नियमानुसार देय दर से अधिक दर पर ब्याज का जमा प्रदान करने के कारण ब्याज राशि का निधि से अधिक भुगतान | 23.1 | 3.23 |
| 13) | गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान | 26 | 2.14 |
| 14) | अनुबन्धित वाहन चालकों के वेतन का अनियमित व्यय | 27 | 4.24 |
| 15) | नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से अधिक व्यय करना | 29 | 426.24 |
| 16) | सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक, व्यय व तकनीकी स्वीकृति को avoid करने हेतु निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों मे बाँटने सम्बन्धी अनियमितता | 31 | 52.12 |
| 17) | सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान | 32 | 14.11 |
| 18) | निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से दण्ड शुल्क (Penalty) की वसूली न करना | 33 | 6.08 |
| 19) | गलत गणना के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना | 34 | 0.63 |
| 20) | बिना पूर्ण औचित्य व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के निर्माण कार्यों की अतिरिक्त मदों के उच्च्य दरों पर क्रियान्वयन करवाने पर सम्भावित वित्तीय हानि | 36 | 1.19 |
| 21) | कार्य प्रमात्रा को दो बार मापने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना | 37 | 2.60 |
| 22) | विभागीय निर्माण कार्यों हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं को भण्डार से जारी किए गए लगभग 2601 बोरी सीमेन्ट की प्राप्ति एवं उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना/दर्शाना | 40 | 7.02 |
| 23) | नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेन्ट बैगों की विभागीय आपूर्ति की एवज़ में राशि की कम वसूली | 41 | 1.59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24) | नियमानुसार क्रय प्रक्रिया न अपनाकर निर्माण सामग्री का क्रय करना | 42 | 5.23 |
| 25) | वाहनों की तय औसत से कम औसत दर्शाने के कारण अनियमित व्यय | 43 | 0.30 |

## (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों को निस्तारण सम्भव हो सके।

# भाग–दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, दिनांक 22.6.2015 से 22.8.2015 तक श्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियन्त्रक व श्री विरेन्द्र, अनुभाग अधिकारी द्वारा नगर परिषद नाहन स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 03/2014 तथा 03/2015 एवं व्यय के लिए 03/2014 तथा 11/2014 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद कार्यालय नाहन द्वारा उपलबध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

## 3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 04/2013 से 03/2015 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹77,000/– आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी

अधिकारी, नगर परिषद नाहन, से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 102/2015, दिनांक 19.8.2015 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउतर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क **₹**77,000/– स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नाहन के डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्याः 433590, दिनांक 20.8.2015 के माध्यम से पंजीकृत पत्र संख्याः ACCTT./MCN/2015-1888, दिनांक 21.8.2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09 को भेज दिया गया है।

## 4 वित्तीय स्थिति

नगर परिषद नाहन की अवधि 04/2013से 03/2015 तक के लेखाओं पर आधारित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है (**परिष्टि–''ख''**) :–

| वित्तीय वर्ष | लेखाशीर्ष | | आरम्भिक शेष (₹में) | आय/प्राप्तियां (₹में) | कुल योग (₹में) | व्यय (₹में) | अन्तिम शेष (₹में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | **स्वतः स्त्रोत** | | 1,07,18,575.46 | 1,94,73,680.00 | 3,01,92,255.46 | 1,06,14,143.00 | 1,95,78,112.46 |
| | अनुदान | नगर परिषद निधि | 2,73,17,124.00 | 5,52,86,959.00 | 8,26,04,083.00 | 5,13,05,743.00 | 3,12,98,340.00 |
| | | SJSRY/ NULM | 21,69,367.00 | 3,83,563.00 | 25,52,930.00 | 8,09,788.00 | 17,43,142.00 |
| | | SWM | 2,92,401.00 | 11,823.00 | 3,04,224.00 | – | 3,04,224.00 |
| | | **अनुदान का जोड** | 2,97,78,892.00 | 5,56,82,345.00 | 8,54,61,237.00 | 5,21,15,531.00 | 3,33,45,706.00 |
| | **कुल जोड** | | **4,04,97,467.46** | **7,51,56,025.00** | **11,56,53,492.46** | **6,27,29,674.00** | **5,29,23,818.46** |
| 2014–15 | **स्वतः स्त्रोत** | | 1,95,78,112.46 | 5,81,94,956.00 | 7,77,73,068.46 | 2,58,17,261.00 | 5,19,55,807.46 |
| | अनुदान | नगर परिषद निधि | 3,12,98,340.00 | 4,95,76,008.00 | 8,08,74,348.00 | 5,38,00,003.00 | 2,70,74,345.00 |
| | | SJSRY/ NULM | 17,43,142.00 | 7,19,143.64 | 24,62,285.64 | 4,63,816.00 | 19,98,469.64 |
| | | SWM | 3,04,224.00 | 12,300.00 | 3,16,524.00 | – | 3,16,524.00 |
| | | **अनुदान का जोड** | 3,33,45,706.00 | 5,03,07,451.64 | 8,36,53,157.64 | 5,42,63,819.00 | 2,93,89,338.64 |
| | **कुल जोड** | | **5,29,23,818.46** | **10,85,02,407.64** | **16,14,26,226.10** | **8,00,81,080.00** | **8,13,45,146.10** |

**4.1** दिनांक 31.3.15 को हस्तगत रोकड़/सावधिक जमा/बैंक खातों के अनुसार शेष (**परिशिष्ट–"ख"**)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cash/Cheque in hand (As per detail enclose) | | 1,04,084.00 |
| 2. | TDRs in Bank (As per detail enclosed) | | 56,97,902.00 |
| 3. | SBOP Saving A/c No. 65047070129 | Municipal Fund | 4,10,61,363.65 |
| 4. | SBOP Saving A/c No. 55120019530 | IDSMT | 47,37,506.23 |
| 5. | SBOP Saving A/c No. 55120019563 | Works | 16,18,512.42 |
| 6. | SBOP Saving A/c No. 65040424190 | BRGF | 46,64,707.00 |
| 7. | HDFC Bank Saving A/c No. 17381450000084 | BRGF | 20,68,200.21 |
| 8. | PNB Saving A/c No. 0356000100133792 | Works | 14,601.68 |
| 9. | UCO Bank Saving A/c No. 12216 | Works | 46,338.00 |
| 10. | SBI Saving A/c No. 11128708053 | Municipal Fund | 11,191.20 |
| 11. | HP State Coop Bank Saving A/c No. 57210101638 | Municipal Fund | 78,75,199.00 |
| 12. | HP State Coop Bank Saving A/c No. 55910115928 | Municipal Fund | 1,10,75,341.00 |
| 13. | HP State Coop Bank Saving A/c No. 5590109247 | SJSRY/NULM | 2,83,443.15 |
| 14. | SBI Saving A/c No. 11128708042 | SJSRY/NULM | 1,28,002.49 |
| 15. | UBI Saving A/c No. 604602010003166 | SJSRY/NULM | 15,87,024.00 |
| 16. | HP State Coop Bank Saving A/c No. 5590108818 | SWM | 3,16,524.00 |
| | | **Total** | **8,12,89,940.10** |
| | दिनांक 31.3.15 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही के अनुसार शेष | | **8,13,45,146.10** |
| | दिनांक 31.3.15 को हस्तगत रोकड़/सावधिक जमा/बैंक खातों के अनुसार शेष | | **8,12,89,940.10** |
| | दिनांक 31.3.15 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातों में दर्शाए गए शेषों में अन्तर (8,13,45,146.10 – 8,12,89,940.10) | | **55,206.00** |

## 4.2 बैंक समाधान विवरण दिनांक 31.3.2015 को

| Particulars | Amount (Rs) | Amount (Rs) |
|---|---|---|
| Closing Balance as per Mpl. Fund Cash Book/Financial Position as on 31-3-2015 | 7,90,30,152.46 | |
| Closing Balance as per SWM cash Book as on 31-3-15 | 3,16,524.00 | |
| Closing Balance as per SJSRY/NULM cash Book as on 31-3-15 | 19,98,469.64 | 8,13,45,146.10 |
| **Add** Cheque no. 658173 dated 31-3-15 issued but not presented for payment till 31-3-15 | | 8,170.00 |
| **Less** Income deposited but not realized by the bank ch. No. 452204 dated 12-6-13 | 24,000.00 | |
| Income less deposited into the bank on dated 20-5-13 i.e. Rs. 1,200/- deposited instead of Rs. 1,210/- | 10.00 | |
| On dated 14-6-13 i.e. Rs. 74,385/- deposited instead of Rs. 74,835/- | 450.00 | |
| Difference as per previous Audit Report 2011-13 (Adjusted) i.e. Balance short in Bank (Abtract Enclosed) (**परिशिष्ट–"ख"**) | 38,916.00 | 63,376.00 |
| | | **₹8,12,89,940.10** |

**बैंक समाधान विवरण से सम्बधित निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं :–**

**4.2(i)** निम्न विवरणानुसार प्राप्त आय में से ₹460 की आय बैंक में कम जमा की गई थी जिसे अंकेक्षण द्वारा आपत्ति (Point out) करने पर रसीद संख्याः 11/340 दिनांक 17.8.15 द्वारा वसूल कर लिया गया था :–

| क्रमांक | रसीद सं0 | दिनांक | राशि (₹में) | बैंक में जमा राशि (₹में) | बैंक में कम जमा राशि (₹में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 92/193 | 20.5.13 | 1,210.00 | 1,200.00 | 10.00 |
| 2. | 4/179 | 14.6.13 | 74,835.00 | 74,385.00 | 450.00 |
| | | | | **कुल योग** | **460.00** |

**4.2(ii) लकड़ी की बिक्री से प्राप्त ₹24,000/– की आय के चैक को न भुनाना**

मैसर्ज़ पवन कुमार एण्ड कम्पनी द्वारा चौक नाहन से चैक संख्याः 452204 दिनांक 12.6.13 (रसीद संख्याः 51/178, दिनांक 12.6.13) द्वारा लकड़ी की बिक्री की एवज़ में ₹24,000

प्राप्त हुए थे किन्तु insufficient Fund होने के कारण चैक बैंक द्वारा परिषद को वापिस लौटाया गया तथा अब यह कालातीत हो चुका है किन्तु राशि को प्राप्त करने बारे परिषद द्वारा कोई कार्यवाही की गई प्रतीत नहीं होती है। अतः नियमानुसार राशि की वसूली हेतु अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**4.2(iii)** पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 के बैंक समाधान विवरण अनुसार ₹30,414/– का अन्तर था अर्थात बैंक में कम जमा पाए गए थे जिसका समाधान अभी तक नहीं किया गया है, जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वर्णित अन्तर समाधान करते हुए **₹**38,916/– का पाया गया जोकि बैंक में कम जमा थे जिसका निपटारा माहवार बैंक समाधान करके किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 5 अनुदान

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट–''ग''** के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 04/2013 से 03/2015 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :–

### 5.1 दिनांक 31.3.2015 तक अनुदान की धनराशि ₹293.89 लाख व्यय/उपयोग हेतु शेषः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट–''ग''** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को ₹2,93,89,338.64 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः इन अनुपयोग अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर या सक्षम प्राधिकारी से उपयोग की समय बढ़ौतरी प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर जारी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### 5.2 अनुदान से वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक राशि ₹242.03 लाख का व्यय करना :–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि शीर्ष $4^{th}$ FC and $13^{th}$ FC के अन्तर्गत वितीय वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान राशि का केवल 20% भाग ही वेतन व मजदूरी पर व्यय किया जा सकता था किन्तु इस सम्बन्ध में **परिशिष्ट–''घ''** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न

विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 में शीर्ष 4th FC/13th FC के अन्तर्गत प्राप्त कुल अनुदान राशि में से निर्धारित मापदण्डों से अधिक वेतन व मजदूरी पर राशि ₹2,42,03,384 का व्यय किया गया था जोकि अनुदान उपयोग सम्बन्धी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता को या तो सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा शीर्ष 4th FC/13th FC के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से किए गए अनियमित भुगतान की भरपाई सम्बन्धित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| वित्तीय वर्ष | शीर्ष 4th FC/13th FC के अन्तर्गत प्राप्त कुल अनुदान की राशि (₹में) | निर्धारित मापदण्ड 20% की दर से जो व्यय वेतन व मजदूरी पर किया जाना चाहिए था (₹में) | वेतन व मजदूरी पर व्यय किया गया (₹में) | निर्धारित मापदण्ड 20% से अधिक वेतन व मजदूरी पर किया गया व्यय (₹ / % में) |
|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 3,77,71,839 | 75,54,368 | 1,88,85,919 | 1,13,31,551(30%) |
| 2014–15 | 4,29,06,110 | 85,81,222 | 2,14,53,055 | 1,28,71,833(30%) |
| | | | **कुल जोड़** | **2,42,03,384(30%)** |

## 5.3 अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को अवधि 04/2013 से 03/2015 के दौरान अनुदान से व्यय की गयी राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित ही नहीं किए थे अपेक्षित सूचना के अभाव में अनुदान से व्यय की गई राशियों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाऐं और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए जाने के साथ–साथ जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

## 5.4 अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण की अवधि 04/2013 से 03/2015 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदनुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 6 निवेश

अंकेक्षण अवधि के अन्त में विभिन्न खातों में निवेशित/जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट–"ख"** में दिया गया है जिसके अवलोकन पर विदित होता है कि रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न बैंकों में रखे गए बचत खातों में ₹754.88 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति बचत खाता संख्याः 11128707638 में भी ₹24.28 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी। इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा परिषद की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अल्प व दीर्घकालिक सावधिक जमा मे निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए ताकि परिषद की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

## 7 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव नहीं किया गया था जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 1.4.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख–रखाव करने के निर्देश दिए गए थे। वर्णित निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण जहाँ निदेशक के आदेशों की उलंघना हुई है। वहीं किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद पर कितना खर्च हुआ तथा खर्च की राशि अनुमोदित बजट प्रावधान से अधिक तो नहीं या अनुदान से प्राप्त राशि का उसी उद्देश्य हेतु व प्राप्त अनुदान की राशि का सीमा तक ही व्यय किया गया है कि नहीं इत्यादि तथ्यों/सूचना की भी पुष्टि नहीं की जा सकती। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 19 में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिंता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी परिषद द्वारा रख–रखाव नहीं किया जा रहा था :–

1. कॉन्ट्रैक्टर लैजर
2. सामान्य भविष्य निधि/अंशदाई पैन्शन योजना की रोकड़ बहियाँ
3. पैन्शन भुगतान रजिस्टर

## 8 रोकड़ बही का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय–III के पैरा 19(3) के अनुसार रोकड़ बही को अध्यक्ष, नगर परिषद द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिंता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ बही को लेखा संहिता के प्रावधानानुसार सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 9 गृहकर व सफाई कर राशि ₹260.75 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"च"** द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना व निम्न विवरण अनुसार दिनांक 31.3.15 को गृहकर व सफाई कर की राशि ₹260.75 वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय है। चयनित आधार पर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 50 प्रकरणों में ही गृहकर व सफाई कर की ₹31.55 लाख की राशि वसूली हेतु शेष थी तथा इनमें से भी कई प्रकरणों में पिछले 2–12 वर्षों से कोई वसूली ही नहीं की गई थी (**परिशिष्ट–"च"**) फलस्वरूप वसूली योग्य राशि प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। अतः शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाए जाने के साथ–साथ अभिलेख का अद्यतन करते हुए अन्तशेष की सही स्थिति परिलक्षित करना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

| क्रम संख्या | विवरण | 31.3.2015 को वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|
| 1 | गृहकर | 2,10,92,441 |
| 2 | सफाई कर | 49,82,815 |
| | **कुल जोड़** | **2,60,75,256** |

**9.1** परिषद द्वारा उपलब्ध गृहकर की वसूली हेतु अन्तशेष की सूचना भी सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि सूचित अधिशेष में अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"छ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार ₹59,91,780 की राशि अवधि 01.03.2012 से 31.3.2015 तक देय राशि को शामिल नहीं किया गया था जोकि दिनांक 01.03.2012 से पहले के क्षेत्रफल पर मकानों के प्रथम 100sqm गृहकर छूट से सम्बन्धित थी जो दिनांक 01.03.2012 के उपरान्त समाप्त कर दी गयी थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित त्रुटी का सुधार करके गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख का यथानुसार अद्यतन करते हुए देय गृहकर की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 9.2 सरकार के निर्देशानुसार तय गृहकर की दरानुसार मांग व वसूली न करने सम्बन्धी अनियमितता

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानो को पूर्णतया लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा जारी पत्र संख्याः UDH (C)(10)-7/98-II, दिनांक 17.11.2003 के अनुसार अवधि 2002–03 में 7.5% की दर से गृहकर लगाकर इसमे प्रति वर्ष 1% की वृद्धि करके अवधि 2006–07 तक गृहकर की दर को 12.5% किया जाना अपेक्षित था किन्तु परिषद द्वारा उक्त नियमानुसार निर्धारित दर की अपेक्षा मकानों के क्षेत्रफल अनुसार 21.60/₹7.20 प्रति वर्ग मी0 की दर से गृहकर वसूल किया गया था (कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"ज"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार) जोकि उक्त वर्णित प्रावधानों/अनुदेशों की उलंधना है। इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। वर्तमान मे वसूल किया जा रहा गृहकर यदि सरकार द्वारा निर्धारित उक्त दरों से देय गृहकर से कम बनता हो तो राशि की गणना अपने स्तर पर करके बकाया गृहकर की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 10 दुकानों के किराए की राशि ₹43.94 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"झ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 तक दुकानों के किराए की राशि ₹43,94,437 वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय है। इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 11 व्यापार लाईसैंस शुल्क की राशि ₹0.46 लाख की वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"ञ"** द्वारा उपलबध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 तक व्यापार लाईसैंस शुल्क की रशि ₹45,908 वसूली हेतु शेष थी। इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 12 अस्थाई अग्रिमों की राशि ₹92,705 समायोजन हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"ट"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 को अस्थाई अग्रिमों की राशि ₹92,705 की लगभग पिछले 2–5 वर्षों से समायोजन हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस राशि में ₹60,000 की राशि तो स्थानान्तरण हो चुके कनिष्ठ अभियन्ता से सम्बन्धित है जिसका समायोजन उनके स्थानान्तरण से पूर्व सुनिश्चित न किया जाना

एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस राशि के साथ–साथ वर्णित समस्त अस्थाई अग्रिम की राशि के समायोजन हेतु नियमानुसार तुरन्त विशेष पग उठाये जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 13 बिजली उपकर की प्राप्ति से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG(B)(1)-9/94, दिनांक 8.11.1999 एवं हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूली करके नगर परिषद को भुगतान किया जाना प्रावधित है। इस प्रावधान के अनुसार **परिशिष्ट–"ठ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार परिषद को वर्ष 2014 में ₹53,907 तथा वर्ष 2015 में ₹57,260 बिजली उपकर की राशि बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई परन्तु प्राप्त राशि किस वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित थी व वर्षवार खपत की गई बिजली से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/आंकड़े अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में प्राप्त आय का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से उक्त राशि कीदेय अवधि का विवरण व सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत किए जाने के साथ–साथ यदि कोई राशि वसूली हेतु शेष हो तो उस राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 14 वित्तीय वर्ष के शेष मदिरा शुल्क की प्राप्ति बारे

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–"ठ"**) के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से परिषद परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रुपया प्रति बोतल की दर से नगर परिषद को निम्नलिखित आय प्राप्त हुई :–

| क्र0 सं0 | वित्तीय वर्ष | पत्र संख्या | रसीद संख्याः एवं दिनांक | जिस अवधि से आय सम्बन्धित थी | राशि (₹में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-14 | Astt. Exicise & Taxation Commissioner-Nahan Letter No. XEN,(E)-2013-14-3977, dt. 14/03/2014 | G-8 No. 37/236, dt. 27/03/14 | 2012-13 | 6,30,299 |
| 2 | 2014-15 | No. XEN,(E)-2014-15-2875, dt. 23/03/2015 | G-8 No. 41/313, dt. 28/03/2015 | 2013-14 | 6,68,243 |

नगर परिषद परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में उपरोक्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपरोक्त सूचना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि परिषद को अवधि 2014–15 से सम्बन्धित शराब उपकर की राशि आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त नही हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण के समय पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 15 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का संरक्षण न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि में बिजली उपकर व कुछ अवधि का शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। साथ ही सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि परिषद द्वारा मांग व प्राप्तियों के सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण भी नहीं किया गया था जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती जैसे कि निर्धारित दर से कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अपेक्षित अभिलेख के संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उचित अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 16 मोबाईल टावर शुल्क की राशि ₹2.05 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"ढ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 को मोबाईल टावर शुल्क की राशि ₹2,05,000/– वसूली हेतु शेष थी। इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 17 भवन निर्माण नक्शा पारित हेतु देय शुल्क राशि ₹2.07 लाख की कम वसूली करना

भवन निर्माण नक्शा पारित करने पर प्राप्त फीस के प्रकरणों की चयनित आधार पर उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में शुल्क गणना में त्रुटी के कारण देय राशि से राशि ₹1,73,157 को कम वूसल किया गया था जिसकी वसूली अब उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| भवन निर्माण नक्शा प्रकरण सं0 | भवन मालिक का नाम/ रसीद सं0 व दिनांक | वसूल की गई फीस | | | | देय फीस | | कम वसूल की गई फीस (₹में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विवरण | क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में) | दर प्रति वर्ग मी0 (₹में) | राशि (₹में) | दर प्रति वर्ग मी0 (₹में) | राशि (₹में) | |
| 104/13 | Smt. Pushpa w/o Sh. Keaswanand | Building Commercial | 97.00 | 63.00 | Nil | 63.00 | 6111 | 6111 |
| | | Change of Land use | 99.50 | 105.00 | Nil | 105.00 | 10448 | 10448 |
| | | | | **Total** | **Nil** | | **16559** | **16559** |
| 80/13 | Sh.Dalip Kumar & Other | Building Residential | 265.94 | 31.50 | 4405 | 31.50 | 8377 | 3972 |
| | | M.C. fees | 265.94 | 2.50 | 350 | 2.50 | 665 | 315 |
| | | | | **Total** | **4755** | | **9042** | **4287** |
| 168/14 | Sh. Ramesh & Suresh, Nani Ka Bag | Change of Land use | 502.56 | 15.75 | Nil | 15.75 | 7915 | 7915 |
| 66/14 | Sh. Guarav S/o Sh. Anil Kumar | Change of Land use | 55.10 | 105.00x2 times=210 | Nil | 105.00x2 times=210 | 11571 | 11571 |
| 15/14 | Vashya Sabha Nahan | Change of Land use | 483.24 | 210.00 | 7612 | 210.00 | 101481 | 93869 |
| 32/15 | Sh. Pawan Sharma S/o Sh. Ghungar Mal Sharma | Charge of Land use | 175.38 | 157.50 | 13855 | 157.50 | 27622 | 13767 |
| 88/13 | Sh. Moti Ram | Building Residential | 152.70 | 31.50 | Nil | 31.50 | 4810 | 4810 |
| 42/13 | Sh. Satya Ram | Change of Land Use (R) | 335.07 | 15.75 | Nil | 15.75 | 5277 | 5277 |
| 61/13 | Sh. Madan Lal Sharma | Change of land use (R) | 85.73 | 6.30 | Nil | 6.30 | 540 | 540 |
| 67/13 | Sh. Dev Narayan | Building Residential | 66.00 | 12.60 | nil | 12.60 | 832 | 832 |
| 37/14 | Sh. Inder Singh | Building Residential | 172.00 | 21.00 | nil | 21.00 | 3612 | 3612 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.C. fees | 172.00 | 2.50 | 243 | 2.50 | 430 | 187 |
| | | | | **Total** | **243** | | **4042** | **3799** |
| 123/13 | Sh. Satish Kumar | Change of Land use (R) | 341.88 | 15.75 | nil | 15.75 | 5385 | 5385 |
| 108/14 | Smt. Anjana Kumari W/o Sh. Pradeep Singh | Change of Land use (R) | 100.00 | 10.50 | nil | 10.50 | 1050 | 1050 |
| 93/14 | Sh. Anil Jain S/o Sh. Hira Lal Jain | Building Residential | 314.72 | 12.60 | 2705 | 12.60 | 3965 | 1260 |
| 133/14 | Sh. Thakur Singh | Charge of Land use (R) | 213.00 | 10.50 | nil | 10.50 | 2236 | 2236 |
| | | **G-Total** | | | | | | **173157** |

**17.1** **परिशिष्ट–''ण''** पर भवन निर्माण नक्शा पारित करने से सम्बन्धित वर्णित प्रकरणों में देय भूमि विकास शुल्क की राशि ₹33,368 की वसूली नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका समाधान अब वर्णित राशि तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान अन्य समतुलय प्रकरणों में ऐसी अनियमितता के कारण देय राशि की अपने स्तर पर गणना करके कुल राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 18 पैन्शन व ग्रेच्यूटी फण्ड

वित्तीय स्थिति (**परिशिष्ट–''त'' के अनुसार**) निम्न प्रकार से है :–

| वित्तीय वर्ष | आरम्भिक शेष (₹में) | अभिदान/ अंशदान से प्राप्त राशि (₹में) | कुल योग (₹में) | व्यय (₹में) | अन्तिम शेष (₹में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 43841.71 | 9351923.00 | 9395764.71 | 9290858.00 | 104906.71 |
| 2014–15 | 104906.71 | 12447950.00 | 12552856.71 | 12410803.00 | 142053.71 |
| | | दिनांक 31.3.15 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष | | | 142053.71 |
| | | दिनांक 31.3.15 को बैंक खाते के अनुसार शेष | | | 142053.71 |
| | | शेष में अन्तर | | | शून्य |

## 19 नगरपालिका निधि से पैन्शन एवं उपदान निधि के लिए राशि ₹134.62 लाख का अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान

H.P Municipality Employees (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पैन्शन तथा 5% ग्रेच्यूटी का अभिदान ही पैन्शन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार नगर पालिका निधि से पैन्शन एवं उपदान निधि में राशि ₹1,34,61,948 का अतिरिक्त हस्तांतरण/भुगतान किया गया जो कि उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है :–

| वाऊचर संख्या व दिनांक | अतिरिक्त हस्तांतरण राशि (₹में) | रोकड़ बही पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 34/05.04.2013 | 3,43,377.00 | 70 |
| 39/06.05.2013 | 3,26,619.00 | 99 |
| 40/06.05.2013 | 19,480.00 | 99 |
| 39/04.06.2013 | 3,47,004.00 | 30 |
| 35/03.07.2013 | 3,36,492.00 | 6 |
| 37/07.08.2013 | 3,98,601.00 | 32 |
| 35/05.09.2013 | 4,36,271.00 | 52 |
| 41/04.10.2013 | 4,37,061.00 | 71 |
| 31/01.11.2013 | 4,37,061.00 | 91 |
| 33/02.12.2013 | 4,47,663.00 | 11 |
| 52/20.01.2014 | 4,47,663.00 | 49 |
| 53/24.02.2014 | 4,37,095.00 | 77 |
| 53/13.03.2014 | 4,50,713.00 | 91 |
| 29/04.04.2014 | 4,97,053.00 | 21 |
| 43/15.05.2014 | 4,98,335.00 | 54 |
| 46/11.06.2014 | 4,98,035.00 | 79 |
| 37/05.07.2014 | 5,12,870.00 | 1 |
| 43/08.08.2014 | 5,19,499.00 | 33 |
| 30/02.09.2014 | 5,19,499.00 | 54 |
| 41/03.09.2014 | 2,18,502.00 | 56 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 / 04.10.2014 | 5,56,670.00 | 84 |
| 61 / 15.10.14 | 2,73,111.00 | 93 |
| 30 / 01.11.2014 | 5,78,298.00 | 10 |
| 37 / 02.12.2014 | 5,49,670.00 | 36 |
| 71 / 22.12.2014 | 2,93,979.00 | 53 |
| 28 / 02.01.2015 | 5,49,670.00 | 65 |
| 25 / 05.02.2015 | 5,22,146.00 | 96 |
| 29 / 05.03.2015 | 5,22,746.00 | 23 |
| 46 / 18.03.2015 | 11,90,507.00 | 33 |
| 53 / 20.03.2015 | 2,96,258.00 | 35 |
| **कुल योग** | **₹1,34,61,948.00** | |

अतः उपरोक्त अनियमितता की औचित्यता स्पष्ट करते हुए या तो अब इसे उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर अनियमित रूप से हस्तांतरित उक्त वर्णित राशि को वापिस नगरपालिका निधि मे जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाये।

**20 अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों/खाली पदों के विरूद्ध पैन्शन व उपदान निधि में राशि ₹1.35 लाख का अनियमित भुगतान करना (वाऊचर संख्याः 52 of 13-03-14 = ₹1,22,996/- व वाऊचर संख्याः 29 of 01-11-14 = ₹1,21,928/-)**

H.P. Municipality Employees (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पैन्शन तथा 5% ग्रेच्यूटी का अभिदान पैन्शन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-II(130/10)7/2000, दिनांक 20. 12.2003 द्वारा जारी अनुदेशानुसार नगरपालिका द्वारा कुल स्वीकृत पदों, चाहे भरी हो या खाली हों, के लिए उक्त अभिदान का जमा करवाया गया था जिसमें अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। चूंकि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका निधि से अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का अंशदान अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) निधि में अलग से जमा किया गया इसलिए सी0पी0एस0 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को तथा खाली पदों के विरूद्ध बाद में नवनियुक्त कर्मचारियों को पैन्शन एवं उपदान का लाभ नियमानुसार देय नहीं था इसलिए नियमों की सही भावना के दृष्टिगत अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का 12% पैन्शन तथा 5% ग्रेच्यूटी का अभिदान

पैन्शन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण निम्न विवरण अनुसार चयनित माह में नगरपालिका निधि से पैन्शन एवं उपदान निधि में ₹1,34,568 का अधिक भुगतान किया गया। अतः यह मामला उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान मे नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता है :–

**(क) सी0पी0एस0 कर्मचारियों जिनका ग्रेच्यूटी अभिदान जमा किया गया**

| पदनाम | पे बैंड + ग्रेड पे | CPS कर्मचारियों की सं0 जिनका ग्रेच्यूटी अभिदान जमा किया गया | 5% की दर से अधिक जमा की गई ग्रेच्यूटी अभिदान की राशि (पे बैंड का अधिकतम x कर्मचारी संख्या x 5%) | | कुल अधिक जमा अभिदान की राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Engineer | 10300-34800 | 1 | 1740 | 1740 | 3480 |
| Clerk | 10300-34800 | 1 | 1740 | 1740 | 3480 |
| Community Organiser | 10300-34800 | 1 | 1740 | 1740 | 3480 |
| Sanitary Inspector | 10300-34800 | 1 | 1740 | 1740 | 3480 |
| Masson | 5910-20200 | 2 | 2020 | 2020 | 4040 |
| Beldar | 4900-10680 | 20 | 10680 | 10680 | 21360 |
| Ahsan | 4900-10680 | 1 | 534 | 534 | 1068 |
| Sweeper | 4900-106800 | 34 | 18156 | 18156 | 36312 |
| | **Total** | **61** | **38350** | **38350** | **76700** |

**(ख) खाली पदों जिनका ग्रेच्यूटी अभिदान जमा किया गया**

| पदनाम/ पे बैंड | पे बैंड + ग्रेड पे | खाली पदों की संख्या जिनका ग्रेच्यूटी अभिदान जमा किया गया | 5% की दर से अधिक जमा की गई ग्रेच्यूटी अभिदान की राशि (पे बैंड का अधिकतम x कर्मचारी संख्या x 5%) | | जमा कुल अभिदान की राशि (₹में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | माह 3/14 | माह 11/14 | |
| Junior Engineer | 10300-34800 | 1 | 1740 | 1740 | 3480 |
| Suptt. Gr.II | 10300-34800 | 1 | 1740 | 1740 | 3480 |
| Sr. Asstt. | 10300-34800 | 1 | 1740 | 1740 | 3480 |
| Jr. Asstt. | 10300-34800 | 1 | 1740 | 1740 | 3480 |
| Sanitary | 10300-34800 | 1 | 1740 | 1740 | 3480 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector | | | | | |
| Masson | 5910-20200 | 1 | 1010 | 1010 | 2020 |
| Peon/R.H. | 4900-10680 | 2 | 1068 | 1068 | 2136 |
| Cowkidar | | | | | |
| Saphai | 4900-10680 | 2 | 1068 | 1068 | 2136 |
| Jamadar | | | | | |
| Mali | 4900-10680 | 2 | 1068 | 1068 | 2136 |
| Beldar | 4900-10680 | 5 | 2670 | 2670 | 5340 |
| Sweeper | 4900-10680 | 25 | 13350 | 13350 | 26700 |
| | **Total** | **42** | **28934** | **28934** | **57868** |

## 21 सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना राशि ₹5.84 लाख का अनियमित भुगतान

चयनित माह के व्यय एवं अदायगी के वाऊचरों तथा सेवा निवृत कर्मचारियों को किए गए अन्तिम भुगतानों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यकारी अधिकारी द्वारा सां0भ0 निधि से अंतिम भुगतान/आहरण की स्वीकृतियां प्रदान की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rule 2000 के नियम 13(i) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "The advances, withdrawls and final payment from G.P.F shall be sanctioned by Director" । अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा सा0भ0 निधि से स्वीकृत अन्तिम भुगतान/आहरण की राशियाँ उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस सम्बन्ध में अब निम्नलिखित प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

| क्रम संख्या | वाऊचर संख्या व दिनांक | कर्मचारी/अधिकारी का नाम | अन्तिम भुगतान की राशि (₹में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 of 3/2014 = 201000 | श्री स्वर्ण सिंह, बेलदार | 30,000 |
| | | श्री काका राम, बेलदार | 40,000 |
| | | श्री अशोक कुमार, सफाई कर्मचारी | 20,000 |
| | | श्री धर्मपाल, सफाई कर्मचारी | 70,000 |
| | | श्री दया राम, सफाई कर्मचारी | 11,000 |
| | | श्री सतीश चन्द, वन रक्षक | 30,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 44 of 3/2014 = 20000 | श्री सूरत राम, बेलदार | 20,000 |
| 3 | 71 of 03/2014 | श्री इखलाख मुहम्मद, कारपेंटर | 35,000 |
| 4 | 46 of 11/2014 = 45000 | श्री बाल कृष्ण सैनी, लिपिक | 45,000 |
| 5 | 53 of 11/2014 = 133000 | श्री अमर प्रकाश, सफाई कर्मचारी | 60,000 |
| | | श्री धर्मपाल, सफाई कर्मचारी | 38,000 |
| | | श्री राकेश कुमार, सफाई कर्मचारी | 35,000 |
| 6 | 65 of 11/2014=70000 | श्री हरि दर्शन, सफाई कर्मचारी | 40,000 |
| | | श्री मदन लाल, मैसन | 30,000 |
| 7 | 70 of 11/2014 = 80000 | श्री चरणजीव, बेलदार | 60,000 |
| | | श्री राजेश कुमार, जमादार | 20,000 |
| | | **कुल जोड़** | **5,84,000** |

## 22 सामान्य भविष्य निधि, पैन्शन तथा ग्रेच्यूटी निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)-1/79-III, दिनांक 25/4/2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पैन्शन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पैन्शन तथा ग्रेच्यूटी निधि की स्थापना करने के साथ–साथ इसका रख–रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगर पालिकाएं कर्मचारियों के समय वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पैन्शन व ग्रेच्यूटी का माहवार अभिदान उक्त पैन्शन व ग्रेच्यूटी निधि में जमा करवायेगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख–रखाव भी निदेशक द्वारा ही किया जाएगा। नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाा गया कि उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख–रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया जा रहा था जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है। अतः यह मामला सचिव/निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

## 23 सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों को नियमानुसार देय दर से अधिक दर पर ब्याज का जमा प्रदान करने के कारण ब्याज राशि ₹2.06 लाख का निधि से अधिक भुगतान

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 10.5% की दर से सामान्य भविष्य निधि से ₹12,01,518 की राशि के ब्याज का भुगतान किया गया था

(**परिशिष्ट–''थ''**) जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 के नियम 14 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर ब्याज हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (विनियम) विभाग के संकल्प संख्या फिन–सी–ए(3)–4/2001, दिनांक 09.05.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 8.7% की दर तय की है। अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा सा0भ0 निधि से नियमानुसार देय दर से अधिक दर 10.5% पर ब्याज स्वीकृत करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में ₹2,05,975 की राशि का ब्याज अधिक जमा प्रदान किया गया जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| **10.5% की दर से किया गया ब्याज का भुगतान (₹ में)** | **नियमानुसार 8.7% की दर से देय ब्याज की राशि (₹ में)** | **अधिक जमा प्रदान ब्याज की राशि (₹ में)** |
|---|---|---|
| 12,01,518 | $\frac{120518x8.7}{10.5} = 995543$ | 2,05,975 |

इसके अतिरिक्त यदि उक्त अनियमितता के कारण पूर्व वर्षों में भी समान्य भविष्य निधि खातों में ब्याज अधिक जमा प्रदान किया गया हो तो उस राशि की गणना अपने स्तर पर करके नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 23.1 CPS निधि खाताधारकों को नियमानुसार देय दर से अधिक दर पर ब्याज का जमा प्रदान करने के कारण ब्याज राशि ₹1.17 लाख का निधि से अधिक भुगतान

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 11% की दर से सामान्य भविष्य निधि से ₹5,59,555 की राशि के ब्याज का भुगतान किया गया था (**परिशिष्ट–''द''**) जबकि नियमानुसार नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के (CPS) निधि खातों में जमा राशि पर ब्याज हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 के लागु प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (विनियम) विभाग के संकल्प संख्या फिन–सी–ए(3)–4/2001, दिनांक 09.05.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 8.7% की दर तय की है। अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा (CPS) निधि से नियमानुसार देय दर से अधिक दर 11% पर ब्याज स्वीकृत करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार

कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में ₹1,16,998 की राशि का ब्याज अधिक जमा प्रदान किया गया जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाय जाये :–

| **11% की दर से किया गया ब्याज का भुगतान (₹ में)** | **नियमानुसार 8.7% की दर से देय ब्याज की राशि (₹ में)** | **अधिक जमा प्रदान ब्याज की राशि (₹ में)** |
|---|---|---|
| 5,59,555 | $\frac{559555 \times 8.7}{11}$ = 442557 | 1,16,998 |

## 23.2 अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) अभिदान न काटना

माह 3/2014 के वेतन बिलों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों का अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान माह फरवरी, 2014 के वेतन जोकि माह मार्च, 2014 में देय था, से काटना आरम्भ किया गया था। विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन पर विदित हुआ कि इन कर्मचारियों को माह फरवरी, 2013 व माह नवम्बर, 2013 में नगरपालिका द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किया गया तथा नियमानुसार कर्मचारी की नियमतिकरण तिथि से अगले माह के वेतन अर्थात क्रमशः माह मार्च, 2013 व माह दिसम्बर, से अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान की कटौती करना अनिवार्य था। इस प्रकार निम्न विवरण अनुसार इन कर्मचारियों से ₹14,508 और समतुल्य हिस्सा नियोक्ता से वसूली योग्य देय बनता था जिसे अब नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल करके नियोक्ता के समतुल्य हिस्से सहित अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाए :–

| **क्र0 सं0** | **कर्मचारी का नाम व पद** | **मूल वेतन ग्रेड पे सहित + महंगाई भत्ता (₹में)** | **% की दर से जो अभिदान कटा जाना चाहिए था (₹में)** | **अवधि/राशि जिसकी अभिदान कटौती देय बनती है (₹में)** | **नियोक्ता का समतुल्य हिस्सा (₹में)** | **कुल अभिदान की राशि (₹में)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sh. Sanjay Kumar, Sweeper | 4900 + 1300 = 6200 + DA 4960 (80%) = 11160 | 1116 | 3/13 to 1/14 = 9m x 1116 = 10044 | 10044 | 20088 |
| 2 | Sh. Som Prakash, | 4900 + 1300 = 6200 + DA 4960 (80%) = | 1116 | 12/13 to 1/14 = 2m x 1116 = | 2232 | 4464 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sweeper | 11160 | | 2232 | | | |
| 3 | Sh. Sanjay Kumar Sweeper | 4900 + 1300 = 6200 + DA 4960 (80%)= 11160 | 1116 | 12/13 to 1/14 = 2m x 1116 = 2232 | 2232 | 4464 | |
| | | | **Total** | **14508** | **14508** | **29016** | |

**24. लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों पर राशि ₹0.38 लाख का अनियमित व्यय**

चयनित माह के भुगतान वाऊचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरण अनुसार विज्ञापन छपवाने पर ₹38,881 का खर्च किया गया था :–

| क्र0 सं0 | वाऊचर संख्या व दिनांक | विज्ञापन की एजैन्सी, बिल संख्या व दिनांक | विज्ञापन की राशि (₹में) | विज्ञापन का उद्देश्य / अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43/11-11-14 | Divya Himachal Parkashan Pvt.Ltd. Bill No. 201903/ 03-07-14 | 6,173-00 | Tender Notice |
| 2 | 58/15-03-14 | Divya Himachal Parkashan Pvt. Ltd. Bill No. 179282/ 20-10-13 | 7,469-00 | Tender Notice |
| 3 | 42/11-11-14 | The Hind Samachar Ltd. Bill No. 1003030059/ 20-07-14 | 3,600-00 | Auction Notice |
| | | Bill No. 1003066967/ 15-08-14 | 4,860-00<br>**8,460-00** | स्वतन्त्रता दिवस मंगलमय हो स्वतन्त्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें |
| 4 | 37/07-03-14 | MBM Advertising & PR Agency-Nahan Bill No. 1466/12-02-14 (Hindustan Times) | 11,333-00 | Tender Notice |
| 5 | 65/22-03-14 | MBM Advertising & PR Agency-Nahan Bill No. 1464/07-02-14 (Amar Ujala) | 5,446-00 | Employment Notice |
| | | **Total** | **38,881-00** | |

विज्ञापनों पर किए गए उक्त व्यय पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

(i) विभिन्न त्योहारों/दिवसों के उपलक्ष्य पर परिषद प्रधान इत्यादि के रंगदार फोटो सहित शुभकामना/बधाई संदेशों के विज्ञापन पर ₹4,860 (क्रम संख्याः 3 पर वर्णित) का किया गया खर्च फिजूल प्रतीत होता है क्योंकि इसका परिषद नियमों के अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियों व उद्देश्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था तथा यह खर्च लोकहित की अपेक्षा व्यक्तिगत सा प्रतीत होने के कारण परिषद निधि पर अनुचित प्रभार है;

(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार विज्ञापन DAVP दरों पर एवं हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाने अपेक्षित थे परन्तु वर्णित प्रकरणों में इन अनुदेशों की अवहेलना करके विज्ञापन सीधे ही अखबारों में उच्च दरों पर छपवाए गए थे जोकि अनियमित हैं। अतः उक्त अनियमितता को या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उच्च सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर इस अनियमितता के कारण हुई वित्तीय हानि पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उचित स्त्रोत से परिषद निधि की भरपाई की जाये।

## 25. अर्जित अवकाश भुनाने की एवज़ में ₹1,540 की राशि का अधिक भुगतान

**(1) श्रीमती माया देवी, सफाई जमादार (सेवा निवृत) (वा0सं0 74, दिनांक 28.03.14 = ₹1,63,300)**

श्रीमती माया देवी, सफाई जमादार दिनांक 31.01.2011 को नगर परिषद से सेवा निवृत हुई तथा उन्हें 238 दिनों के अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने की एवज़ में ₹1,65,434 की राशि का भुगतान किया गया था जिसका उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अवधि 01.01.2011 से 31.01.2011 तक = 1 माह का उन्हें 5 दिनों का अर्जित अवकाश का जमा प्रदान किया गया था जबकि नियमानुसार 3 दिन ही देय बनते थे। इस त्रुटी के कारण निम्न विवरण अनुसार उन्हें 2 दिनों के अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने की एवज़ में ₹1,390 की राशि का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| मूल वेतन | महंगाई भत्ता | कुल वेतन | अधिक भुगतान की राशि |
|---|---|---|---|
| 12160 + 1650 ग्रेड पे = ₹13810 | ₹7043 (51%) | ₹20853 | 20853 x 2/30 = ₹1390 |

**(2) श्री अमर सिंह, मेसन (सेवा निवृत) (वाऊचर संख्याः 72, दिनांक 28.03.2014 = ₹2,04,600)**

श्री अमर सिंह, मेसन दिनांक 31.12.2010 को नगर परिषद से सेवा निवृत हुए तथा उन्हें 300 दिनों के अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने के एवज़ में ₹2,04,600 की राशि का भुगतान

किया गया था जिसका उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि उन द्वारा अन्तिम आहरण वेतन 12150 + 1950 Grade Pay = 14100 था (सेवा पुस्तिका पृष्ठ संख्याः 14) किन्तु वर्णित लाभ की गणना हेतु जिसे ₹14,110 लिया गया था। इस त्रुटी के कारण निम्न विवरण अनुसार उन्हें ₹150 की राशि का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली अब उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| भुगतान की राशि (₹ में) | देय राशि (₹ में) | अधिक भुगतान की राशि |
|---|---|---|
| {14100+6350(45%)}x300/30=204600 | {14100+6345(45%)} x 300/30 = 204450 | 150-00 |

## 26. गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण राशि ₹2.14 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

चयनित माह के वेतन बिलों का कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि परिषद कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के समरूप दिनांक 01.10.12 से संशोधित पे बैंड व ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया गया था चयनित आधार पर सेवा पुस्किाओं का विस्तृत अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में संशोधित पे बैंड व ग्रेड पे का लाभ प्रदान करने में त्रुटियाँ रह गई जिन के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹2,13,834 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### 26.1 श्रीमती वंदना कम्युनिटी ओर्गेनाईजर (Community Organiser)

श्रीमती वंदना कम्युनिटी ओर्गेनाईटर (Community Organiser) की सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 01.07.12 से वह पे बैंड 5910–20200+1900 ग्रेड पे में 7180+1900 ग्रेड पे = 9080 का वेतन आहरित कर रही थी तथा नगर परिषद सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्याः 7 दिनांक 23.04.13 द्वारा उन्हें नगर परिषद राजगढ़ की तर्ज पर दिनांक 01.10.12 से संशोधित पे बैंड 10300–34800+3200 ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया गया (सेवा पुस्तिका पृष्ठ संख्याः 10 और 11) जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः Fin(PR)-8(7)-64/2010, दिनांक 27.09.12 द्वारा अधिसूचित पद/संवर्ग संशोधित वेतन नियम 2012 के अन्तर्गत न तो उक्त पद का संशोधित पे बैंड 10300–34800+3200 ग्रेड पे का लाभ अधिसूचित ही किया गया था और न ही इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ही किया गया है इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार उन्हें अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹2,11,701 के वेतन व भत्तों का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है :–

| अवधि | आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में) | देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में) | अन्तर (₹ में) | मंहगाई भत्ता (₹ में)/ दर (% में) | अधिक भुगतान की राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.13 to 30.06.13=3m | 10300+3200=13500 | 7180+1900=9080 | 4420 | 3536/ (80%) | 23868 |
| 01.07.13 to 30.09.13=3m | 10300+3200=13500 | 7460+1900=9360 | 4140 | 3726/ (90%) | 23598 |
| 01.10.13 to 31.12.13=3m | 10710+3200=13910 | 7460+1900=9360 | 4550 | 4095/ (90%) | 25935 |
| 01.01.14 to 30.06.14=6m | 10710+3200=13910 | 7460+1900=9360 | 4550 | 4550/ (100%) | 54600 |
| 01.07.14 to 31.09.14=3m | 10710+3200=13910 | 7740+1900=9640 | 4270 | 4270/ (100%) | 25620 |
| 01.10.14 to 31.03.15=6m | 11130+3200=14330 | 7740+1900=9640 | 4690 | 4690/ (100%) | 56280 |
| HRA 01.10.13 to 31.03.15=18m | 600 | 500 | 100 | | 1800 |
| | | | | **Total** | **₹211701** |

## 26.2 श्रीमती मीना देवी, सफाई कर्मचारी

श्रीमती मीना देवी, सफाई कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि इस पद पर उनकी नियुक्ति तिथि 28.02.12 थी तथा वह पे बैंड 4900–10680+1300 ग्रेड पे में वेतन आहरित कर रही थी। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः Fin(PR)-8(7)-64/2010 दिनांक 27.09.12 द्वारा अधिसूचित पद/संवर्ग संशोधित वेतन नियम 2012 के अन्तर्गत दो वर्षों का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने पर उन्हें 1650 की संशोधित ग्रेड पे दिनांक 28.02.14 से देय बनती थी किन्तु कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय आदेश संख्याः MC(Increment)2014-797 दिनांक 23.03.2014 द्वारा यह लाभ उन्हें दिनांक 01.02.14 से स्वीकृत किया गया था जोकि अनियमित है। इस अनियमितता के कारण उन्हें 27 दिन का ₹675 की राशि (1650–1300=350 + 350 (100% DA)=700 x 27/28 days = 675) के वेतन व भतों का अधिक भुगतान किया गया है।

### 26.3 श्री सतीश चन्द, वन रक्षक

श्री सतीश चन्द, वन रक्षक की सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 01.02.2012 से वह पे बैंड 5910–20200 में 10130+2400 ग्रेड पे = ₹12530 का वेतन आहरित कर रहे थे। दिनांक 01.10.12 से उन्हें ₹3230 की संशोधित ग्रेड पे का लाभ स्वीकृत किया गया था (सेवा पुस्तिका पृष्ठ संख्या 10 और 11) जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः Fin(PR)-8(7)-64/2010 दिनांक 28.09.2012 के अन्तर्गत दो वर्षों का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने पर उन्हें ₹3230 की अपेक्षा ₹3200 की संशाधित ग्रेड पे दिनांक 01.10.12 से देय बनती थी। अतः इस अनियमितता के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरण अनुसार उन्हें ₹1458 के वेतन व भत्तों का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है :–

| अवधि | आहरित ग्रेड पे (प्रतिमाह ₹में) | देय ग्रेड पे (प्रतिमाह ₹में) | अन्तर (₹में) | मंहगाई भत्ता (₹में)/दर (% में) | अधिक भुगतान की राशि (₹में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.13 to 30.06.13=4m | 3230 | 3200 | 30 | 24/ (80%) | 216 |
| 01.07.13 to 31.12.13=6m | 3230 | 3200 | 30 | 27/ (90%) | 342 |
| 01.01.14 to 31.03.15=15m | 3230 | 3200 | 30 | 30/ (100%) | 900 |
| | | | | **Total** | **₹1458** |

## 27. अनुबन्धित वाहन चालकों के वेतन राशि ₹4.24 लाख का अनियमित व्यय

नगर परिषद द्वारा कुल स्वीकृत पदों एवं उनके विरूद्ध नियुक्त कर्मचारियों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि वाहन चालकों के दो ही पद स्वीकृत थे जबकि उनके विरूद्ध चार चालक नियुक्त थे जिनमें से दो नियमित तथा अन्य दो अनुबन्ध आधार पर नियुक्त थे। अनुबन्ध आधार पर नियुक्त वाहन चालकों सर्वश्री संजीव कुमार व नरेन्द्र कुमार को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से पदों का सृजन करवाए बिना ही नियुक्त किया गया था। इस अनियमितता के कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरण अनुसार ₹4,23,762 के वेतन का भुगतान किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध समय–समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों/आदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस अनियमित व्यय एवं वर्णित अनियमितता को अब सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| क्रमांक | चालक का नाम | अवधि | भुगतान दर प्रति माह (₹ में) | अनियमित भुगतान की राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री संजीव कुमार | 01.04.13 to 30.11.13=8M | 8621 | 68,968 |
| | | 01.12.13 to 31.10.14=11M | 8858 | 97,438 |
| | | 01.11.14 to 31.03.15=5M | 9095 | 45,475 |
| | | | **जोड** | **₹2,11,881** |
| 2 | श्री नरेन्द्र कुमार | 01.04.13 to 30.11.13=8M | 8621 | 68,968 |
| | | 01.12.13 to 31.10.14=11M | 8858 | 97,438 |
| | | 01.11.14 to 31.03.15=5M | 9095 | 45,475 |
| | | | **जोड** | **₹2,11,881** |
| | | | **कुल जोड** | **₹4,23,762** |

## 28. ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management) से उत्पन्न 106761 किलोग्राम खाद की मात्रा का Disposal न करना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं संबन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management) से 72000 किलोग्राम खाद उत्पन्न करने हेतु ठेकेदार को ₹10,71,600 का भुगतान किया गया था तथा इस खाद की बिक्री मुल्य मात्र 50 पेसे प्रति किलोग्राम निश्चित किया था जो कि वर्तमान समय में औचित्यहीन लगता है वह भी उस स्थिति मे जब खाद उत्पन्न करने हेतु ही ठेकेदार को ही ₹14.88 प्रति किलोग्राम x 72000 = 10,71,600 (₹10,71,600/72000 किलोग्राम) का भुगतान किया गया। जहाँ परिषद को इस खाद की बिक्री पर ही ₹14.38 प्रति किलोग्राम की दर से नुकसान हो रहा है वहीं दिनांक 31.03.2013 को ₹1,06,761 किलोग्राम खाद की भारी मात्रा स्टॉक में बिक्री हेतु शेष थी जिसमें से 79961 किलोग्राम खाद अंकेक्षण की आरम्भ तिथि 01.04.13 से भी पूर्व से शेष चली आ रही थी तथा इसकी बिक्री हेतु ठोस पग नहीं उठाये गए प्रतीत होते है। इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि जहां खाद के बिक्री मूल्य को तर्कसंगत रूप से निश्चित किया जाये वही स्टॉक के disposal हेतु भी विशेषतौर से ठोस पग उठाये जाएं जैसे कि सरकारी व अर्धसरकारी विभागों अर्थात कृषि/उदयान व बागवानी विभाग/विश्व विद्यालय इत्यादि को खाद बेचने सम्बन्धी सम्भावनाओं को तलाशना अत्यावश्यक है ताकि परिषद को वर्ष दर वर्ष हो रही वित्तीय हानि को कम किया जा सके तथा इसकी कमजोर वित्तीय स्थिती सुदृढ हो सके। यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है :–

| वित्तीय वर्ष | आरम्भिक शेष (कि0ग्रा0 में) | वर्ष में कुल उत्पादन से प्राप्त खाद (कि0ग्रा0 में) | कुल खाद की मात्रा (कि0ग्रा0 में) | वर्ष में खाद बिक्री की मात्रा (कि0ग्रा0 में) | खाद का अन्तशेष (कि0ग्रा0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 79961 | 36000 | 115961 | 29200 | 86761 |
| 2014–15 | 86761 | 36000 | 122761 | 16000 | 106761 |

## 29. नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से राशि ₹426.24 लाख का अधिक व्यय करना

Municipality Act, 1994 की धारा 53(1) एवं इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिनांक 26.06.2001 को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार नगरपालिकाओं के लिए स्थापना पर व्यय उनके कुल खर्च के एक तिहाई भाग (1/3) से अधिक नहीं होना चाहिए। अंकेक्षण अवधि के दौरान कार्यकारी अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट संख्याः "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि परिषद द्वारा स्थापना पर व्यय निर्धारित सीमा से कहीं अधिक किया गया था जिसका विवरण निम्न है :–

| वित्तीय वर्ष | कुल व्यय (₹ में) | निर्धारित सीमा 1/3 अनुसार व्यय जो स्थापना पर किया जाना चाहिए था (₹ में) | स्थापना पर किया गया वास्तविक व्यय (₹ में) | स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक किया गया व्यय (₹/% में) |
|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 6,27,29,674 | 2,09,09,891 | 4,04,94,685 | 1,95,84,794 (31.22%) |
| 2014–15 | 8,00,81,080 | 2,66,93,696 | 4,97,33,648 | 2,30,39,652 (28.17%) |
| | | | | **4,26,24,446 (30%)** |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद ने वर्णित नियमों व दिशा निर्देशों के प्रतिकूल ₹4,26,24,446 की राशि स्थापना पर अनियमित रूप से अधिक व्यय की गयी थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। भविष्य में स्थापना पर व्यय वर्णित नियमों व दिशा निर्देशों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 30. कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को समय–समय पर पूर्ण/अद्यतन न करना

चयनित आधार पर उपलब्ध करवाई गई कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का अवलोकन करने के दौरान पाया कि 90% प्रकरणों में छुट्टी के खाते दिनांक 30.06.2014 के उपरानत अपूर्ण थे तथा निम्न वर्णित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में नियुक्ति तिथि के उपरान्त वेतन की कोई प्रविष्टियां नहीं की गयी थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि सम्बन्धित अभिलेख के अद्यतन न करने के अभाव में कर्मचारियों को भुगतान किए जा रहे वेतन व स्वीकृत की गई

छुट्टियों की अंकेक्षण में सत्यापना नही की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा वर्णित प्रकरणों सहित सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को समय–समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम व पद | सेवा पुस्तिका में वेतन की अन्तिम प्रविष्टि | | | कर्मचारी द्वारा दिनांक को आहरित वेतन (ECR पृष्ठ संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | वेतन | तिथि | पृष्ठ संख्या | |
| 1 | Sh. Mohammed Raffi, Beldar | 2620 | 01.09.07 | 6&7 | 4900+1300GP (128) |
| 2 | Sh. Purshotam Singh, Beldar | 2620 | 01.09.07 | 6&7 | 4900+1300GP (123) |
| 3 | Sh. Inder Pal, Beldar | 3120 | 17.02.05 | 6&7 | 5810+1300GP (101) |
| 4 | Sh. Nattu Ram, Beldar | 7430+1300 GP | 07.12.11 | 8&9 | 7080+1650GP (93) |
| 5 | Sh. Ashok Kumar, Sweeper | 2620 | 20.11.08 | 8&9 | 5090+1300GP (50) |
| 6 | Sh. Sanjay Kumar, Sweeper | 2620 | 20.11.08 | 8&9 | 5090+1300GP (48) |

## 31. सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक, व्यय व तकनीकी स्वीकृति को avoid करने हेतु ₹52.12 लाख के निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों में बाँटने सम्बन्धी अनियमितता

Himachal Pradesh Municipal Works Rules, 2010 के नियम 3(1) के प्रावधानानुसार नगरपालिका को केवल पांच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है तथा नियम 4(2) के प्रावधानानुसार कनिष्ठ अभियन्ता को केवल तीन लाख व सहायक अभियन्ता को दस लाख तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है किन्तु निम्न वर्णित निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों मे बांटकर सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति को avoid किया गया था तथा अपने स्तर पर ही परिषद/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान की गयी थी जोकि वर्णित नियमों की उल्लंधना के कारण अनियमित है जिसका या तो औचित्य स्पष्ट किया जाये या इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| क्र0 सं0 | कार्य आबंटन का विवरण | | चलत बिल संख्या | कुल भुगतान राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|
| | पत्र संख्या व दिनांक | राशि (₹में) | | |

**(1) ठेकेदार का नामः** Sh. Arvind Kumar Bansal-Nahan (HP)

**वाऊचर संख्याः** 52, दिनांक 17.11.14 = ₹13,84,448

**(क) कार्य का नामः** Repair & Restoration of raod from Canteen DC office upto SDM Office **माप पुस्तिका संख्याः** 36520, पृष्ठ–12 से 18 और 22–23 Abstract,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (i) | 43/2014 दिनांक 27.08.14 | 4,93,250 | 2nd & Final | ₹9,72,801 |

**(ख) कार्य का नामः** Repair & Restoration of raod from PWD Rest House to Library Chowk **चलत बिल संख्याः** 1st & Final **माप पुस्तिका संख्याः** 36520, पृष्ठ–20 to 22 Abstract, R/E MB-36512 P-67 to 72

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (ii) | 46/2014 दिनांक 27.08.14 | 6,07,912 | 1st & Final | ₹8,66,273 |

**(ग) कार्य का नामः** Repair & Restoration of raod from Delhi Gate upto PWD Rest House **माप पुस्तिका संख्याः** 36520, पृष्ठ–16 to 19 Abstract,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (iii) | 44/2014 दिनांक 27.08.14 | 6,02,702 | 2nd & Final | ₹8,12,286 |

**घ) कार्य का नामः** Repair & Restoration of raod from Library Chowk upto SFDA Hall in Nahan Town **वाऊचर संख्याः** 67 दिनांक 25.11.14 = ₹791129,

**माप पुस्तिका संख्याः** 36520, पृष्ठ–16 to 19 Abstract,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (iv) | Not Shown to Audit | – | 1st & Final | 7,91,129 |
| | | | **जोड (1)** | **₹34,42,489** |

**(2) ठेकेदार का नामः** M/s Gorakh Constructions-Majra, Paonta (HP)

**वाऊचर संख्याः** 69, दिनांक 27.11.14 = ₹13,62,902

**(क) कार्य का नाम :** Repair & Restoration of road from PP Gunnughat upto Excise Office (RD 0/0 to 0/125) **माप पुस्तिका संख्याः** 36512, पृष्ठ–82&83 Abstract

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (i) | 40/2014, दिनांक 27.08.14 | 4,48,528 | 1st & Final | ₹6,58,711 |

**(ख) कार्य का नामः** Repair & Restoration of Raod from Main gate Hospital to DC Residence upto PP Gunnughat upto Excise office (RD 0/355 to 0/706) **चलत बिल संख्याः माप पुस्तिका संख्याः** 36512 पृष्ठ–86&87 Abstract

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (ii) | 42/2014, दिनांक 27.08.14 | 4,50,509 | 1st & Final | ₹7,04,191 |

(ग) कार्य का नामः Repair & Restoration of Raod from PP Gunnughat upto Excise office to Circuit House (RD 0/125 to 0/355) माप पुस्तिका संख्याः 36512 पृष्ठ–84&85 Abstract वाऊचर संख्याः 68, दिनांक 26.11.14 = ₹4,06,945

(iii) 41/2014, दिनांक 27.08.14 4,50,582 1st & Final ₹4,06,945

जोड (2) **₹17,69,847**

कुल जोड (1) + (2) **₹52,12,336**

## 32 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्यों में राशि ₹14.11 का ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान

निम्न वर्णित निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा आबंटित राशि से अधिक राशि में पूर्ण किए गए थे तथा इस प्रकार इन निर्माण कार्यों में जो overall deviation थी उसका भुगतान ठेकेदारों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही किया गया था जोकि अनाधिकृत होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार वर्णित राशि का भुगतान ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी से Deviation Statement अनुमोदित करवाए जाने के उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित था जोकि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए अब या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस अनाधिकृत भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| आबंटन पत्र संख्या व दिनांक | निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹में) | निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹में) | कुल विचलन (overall deviation) राशि (₹में) | Overall deviation (% में) |
|---|---|---|---|---|
| (1) ठेकेदार का नामः Sh. Arvind Kumar Bansal-Nahan (HP) वाऊचर संख्याः 52, दिनांक 17.11.14 = ₹13,84,448 | | | | |
| (क) कार्य का नामः Repair & Restoration of raod from Canteen DC office upto SDM Office चलत बिल संख्याः 2nd & Final माप पुस्तिका संख्याः 36520, पृष्ठ–12 to 18 & 22-23 Abstract, | | | | |
| 43/2014 दिनांक 27.08.14 | 4,93,250 | 9,72,801 | 4,79,551 | 97.22 |
| (ख) कार्य का नामः Repair & Restoration of raod from PWD Rest House to Library Chowk चलत बिल संख्याः 1st & Final माप पुस्तिका संख्याः 36520, पृष्ठ–20 to 22 Abstract, R/E MB-36512 P-67 to 72 | | | | |
| 46/2014 दिनांक 27.08.14 | 6,07,912 | 8,66,273 | 2,58,361 | 42.50 |

**(ग) कार्य का नामः** Repair & Restoration of raod from Delhi Gate upto PWD Rest House **चलत बिल संख्याः** 2nd & Final **माप पुस्तिका संख्याः** 36520, पृष्ठ–16 to 19 Abstract,

44 / 2014 दिनांक 27.08.14 6,02,702 8,12,286 2,09,584 34.77

**(2) ठेकेदार का नामः** M/s Gorakh Constructions-Majra, Paonta (HP)

**वाऊचर संख्याः** 69, दिनांक 27.11.14 = ₹13,62,902

**(क) कार्य का नाम :** Repair & Restoration of road from PP Gunnughat upto Excise Office (RD 0/0 to 0/125) **चलत बिल संख्याः** 1st & Final **माप पुस्तिका संख्याः** 36512, पृष्ठ–82&83 Abstract

40 / 2014, दिनांक 27.08.14 4,48,528 6,58,711 2,10,183 45.84

**(ख) कार्य का नामः** Repair & Restoration of Raod from Main gate Hospital to DC Residence upto PP Gunnughat upto Excise office (RD 0/355 to 0/706) **चलत बिल संख्याः** 1st & Final **माप पुस्तिका संख्याः** 36512 पृष्ठ–86&87 Abstract

42 / 2014, दिनांक 27.08.14 4,50,509 7,04,191 2,53,682 56.31

**कुल जोड ₹14,11,361**

## 33 निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से दण्ड शुल्क (Penalty) राशि ₹6.08 लाख की वसूली न करना

निर्माण कार्य बिलों के लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निम्न वर्णित निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर न तो कार्य आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार दण्ड शुल्क (Penalty) की वसूली ही की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु नियमानुसार समय अवधि की बढौतरी ही प्रदान की गई। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा न केवल निम्नानुसार ₹6,08,479 की राशि के देय दण्ड शुल्क की वसूली करके परिषद के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अपितु अंकेक्षण अवधि में इस अनियमितता से सम्बन्धित समस्त ऐसे प्रकरणों में भी अपेक्षित कार्यवाही / वसूली करके अनुपाला से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निश्चित की गई अवधि | निर्माण कार्य आरम्भ / पूर्ण करने की तिथि | निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय | निर्माण कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की दर (₹ में) | विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली योग्य राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|

**(1) ठेकेदार का नामः** Sh. Jagmohan Khanduja-Majra, Paonta

**कार्य का नामः** Development of Muck Dumping site ward No. 12 of NHN Town

**अनुबन्ध संख्याः** 01 / 2013, दिनांक 22.03.2013 = ₹53,02,140 i.e. 14.19% above HPSR 2009. **चलत बिल संख्याः** 1st to 4th, **माप पुस्तिका संख्याः** 36516, पृष्ठ–21 & 22, 48 to 50, 36519 पृष्ठ–48 से 51 तक तथा 36522 पृष्ठ 64 से 67,50 तक Abstract & R/E)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Two Month | 25-10-13<br>In Progress<br>31-03-15 | More than<br>1 Year<br>6 Months<br>5 days | Rs. 53021 per day of delay subject to Max. Rs. 530214/- | 530214<br>(Max) |

(2) **ठेकेदार का नाम Sh. Arvind Kumar Bansal-Nahan (HP)**

**कार्य का नामः** Repair & Restoration of raod from Canteen DC office upto SDM office **वाऊचर संख्याः** 52, dated 17-11-14 = 138448/- **चलत बिल संख्याः** 2nd & Final, **माप पुस्तिका संख्याः** 36520, पृष्ठ–12 to 15 & 22-23 Abstract, **अनुबन्ध संख्याः 43/2014,** दिनांक 27.08.2014 = ₹493250

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| One Month | 9/14<br>04-11-14 | 2 Month<br>4 Days | Rs. 4932 per day of delay subject to max. Rs. 49325 | 49325<br>(max) |

(3) **ठेकेदार का नामः** Shri Rakesh Chaudhary- Nahan

**कार्य का नामः** Channelization of Nallah near Slaughter House in Mohalla Dhoban, W.No. 1 of NHN Town. **वाऊचर संख्याः** 37, दिनांक 05.11.14 = ₹15926, **चलत बिल संख्याः** 2nd & Final **माप पुस्तिका संख्याः** 36516, पृष्ठ–72 & 75 Abstract, R/E-MB 36509, पृष्ठ–92 **अनुबन्ध संख्याः** 7/2013, दिनांक 27.04.2013 = ₹214060.20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Two Month | 06/13<br>30-10-13 | 2 Months<br>21 Days | Rs. 2140 per day of delay subject to max. Rs. 21406 | 21406<br>(max) |

(4) **ठेकेदार का नामः** Shri Musharraf Durani, **कार्य का नाम :** C/o drain near the H/O Sh. K.C. Garg & Sh. Amar Singh in Mohalla Sunder Bag Colony W.No. 1 of NHN Town, **अनुबन्ध संख्याः** 27/2013, दिनांक 30.10.2013 = ₹75337.50, **चलत बिल संख्याः** 2nd & Final **वाऊचर संख्याः** 54, दिनांक 18.11.14 = ₹232936, **माप पुस्तिका संख्याः** 36516, पृष्ठ–78&82 Abstract, 76 to 77 R/E

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Two Month | 12/13<br>23-05-14 | 5 Months<br>23 Days | ₹ 753 per day subject to max. ₹7534 | 7534<br>(Max) |
| | | | **कुल जोड** | **₹6,08,476** |

## 34 गलत गणना के कारण संविदाकारों को राशि ₹0.63 लाख का अधिक भुगतान करना

निम्न कार्य बिलों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संविदाकारों को गणना में त्रुटि के कारण राशि ₹62,679 का अधिक भुगतान किया गया।

| | | |
|---|---|---|
| **ठेकेदार का नाम** | : | M/S Gorakh Construction Majra Paonta (HP) |
| **वाऊचर संख्या** | : | 68, दिनांक 26.11.2014 = ₹4,06,945 |

**कार्य का नाम** : Repair & Restoration of Road from Excise office to Circuit house (RD 0/125 to 0/355)

**चलत बिल संख्या** : 1st & Final

**माप पुस्तिका संख्या** : 36512, पृष्ठ–84&85 Abstrct, 75 to 77 R/E

कार्य मद संख्याः 3 (माप पुस्तिका संख्याः 36512, पृष्ठ–84 Abstract of Cost) "P/L tack coat with paving of Bitumen VG-10 grade etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 1217.52 वर्ग मीटर का ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹48,701 की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 36512, पृष्ठ–76 और 77 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 28.80 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था। चूंकि कार्य की मद संख्याः 4, "P/L and laying open graded premix carpet of 20mm thick etc." & 5. "P/L seal coat for sealing the voids in bitumen surface etc." (माप पुस्तिका संख्याः 36512, पृष्ठ–84 Abstract of cost) की निष्पादित कार्य प्रमात्रा भी उक्त वर्णित मद संख्याः 3 के बराबर 1217.52 वर्ग मीटर ही ली गयी थी इसलिए वर्णित गणना की त्रुटि के कारण इन कार्य मदों में भी ठेकेदार को 28.80 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का अधिक भुगतान किया गया था जोकि निम्न विवरण अनुसार कुल ₹8,698 बनता है जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| कार्य मद का नाम व संख्या | गणना जिसका भुगतान किया गया | सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था | अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा | दर प्रति वर्ग मी0 (₹ में) | अधिक भुगतान की राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L tack coat with paving of Bitumen VG-10 grade etc(3) | 1x6.40x$\frac{4.30+4.70}{2}$ =57.60 sqm | 1x6.40x$\frac{4.30+4.70}{2}$ = 28-80 sqm | 28.80 sqm | 40 | 1152.00 |
| P/L and laying open graded premix carpet of 20mm thick etc.(4) | 1x6.40x$\frac{4.30+4.70}{2}$ = 57.60 sqm | 1x6.40x$\frac{4.30+4.70}{2}$ = 28.80 sqm | 28.80 sqm | 190 | 5472.00 |
| P/L Seal coat for sealing the voids in bitumen surface etc.(5) | 1x6.40x$\frac{4.30+4.70}{2}$ = 57.60 sqm | 1x6.40x$\frac{4.30+4.70}{2}$ = 28.80 sqm | 28.80 sqm | 72 | 2074.00 |
| | | | | **Total** | **8698.00** |

34.1 ठेकेदार का नाम : Sh. Arvind Kumar Bansal-Nahan (HP)

वाऊचर संख्या : 67, दिनांक 25.11.14 = ₹7,91,129

कार्य का नाम : Repair & Restoration of road from Library Chowk to SFDA Hall

चलत बिल संख्या : 1st & Final

माप पुस्तिका संख्या : 36520, पृष्ठ–30&31 Abstrct, 25 से 29 तक R/E

कार्य मद संख्याः 3(माप पुस्तिका संख्याः 36520, पृष्ठ–30, abstract of cost) "P/L tack coat with paving of Bitumen VG-10 grade etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 1954.90 वर्ग मीटर का ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹78,196 की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 36520, पृष्ठ–27 से 29 तक पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 24.00 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था। चूंकि कार्य की मद संख्याः 4. "P/L open graded premix carpet of 20mm thick etc." & 5. "P/L seal coat for sealing the voids in bitumen surface etc." (माप पुस्तिका संख्याः 36520, पृष्ठ–30 और 31 Abstract of Cost) की निष्पादित कार्य प्रमात्रा भी उक्त वर्णित मद संख्याः 3 के बराबर 1954.90 वर्ग मीटर ही ली गयी थी इसलिए वर्णित गणना की त्रुटी के कारण इन कार्य मदों में भी ठेकेदार को 24.00 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का अधिक भुगतान किया गया था जोकि निम्न विवरण अनुसार कुल ₹8,770 बनता है जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| कार्य मद का नाम व संख्या | गणना जिसका भुगतान किया गया | सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था | अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा | दर प्रति वर्ग मी0 (₹ में) | अधिक भुगतान की राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L tack coat with paving of Bitumen VG-10 grade etc(3) | 1x1.50x1.60 =26.40sqm | 1x1.50x1.60 =2.40sqm | 24.00 sqm | 40.00 | 960.00 |
| P/L and laying open graded premix carpet of 20mm thick etc.(4) | 1x1.50x1.60 =26.40 sqm | 1x1.50x1.60 =2.40 sqm | 24.00 sqm | 190.00 | 4560.00 |
| P/L Seal coat for sealing the voids in bitumen surface etc.(5) | 1x1.50x1.60 = 26.40 sqm | 1x1.50x1.60 = 2.40 sqm | 24.00 sqm | 72.00 | 1728.00 |
| P/L and rolling of built up spray grout | 1x1.70x0.30 = 5.10 sqm | 1x1.70x0.30 = 0.51 sqm | 4.59 sqm | 331.50 | 1522.00 |

layer over prepared surface(2)

**Total 8770.00**

## 34.1.1 अंकेक्षण को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

कार्य से सम्बन्धित टैण्डर नस्ति, अनुबन्ध, अनुमोदित अनुमान, प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति, करवाए गए कार्य व भुगतान की गई दरों का औचित्य अंकेक्षण को बार–बार मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि इस हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 34, दिनांक 20.03.2015 द्वारा भी अनुरोध किया गया था जिसकी अनुपस्थिति में वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

**34.2**

| | | |
|---|---|---|
| ठेकेदार का नाम | : | Shri Rakesh Chaudhary-Nahan |
| वाऊचर संख्या | : | 37, दिनांक 05.11.14 = ₹15,926 |
| कार्य का नाम | : | Channelization of Nallah near Slaughter House in Mohalla Dhoban W.No. 1 of NHN Town |
| चलत बिल संख्या | : | 2nd & Final |
| माप पुस्तिका संख्या | : | 36516, पृष्ठ–72&75 Abstract, R/E-MB 36509 पृष्ठ–92 |

कार्य मद संख्याः 1 माप पुस्तिका संख्याः 36516, पृष्ठ–73 (Abstract of Cost) "Providing form work with steel plates 3.15 mm thick welded with angle manufactured 30x30x5mm to give a smooth finish etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 173.17 वर्ग मीटर का ₹150 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹25,975 की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य के प्रथम चलत बिल में भुगतान की गई निष्पादित कार्य प्रमात्रा (माप पुसितका संख्याः 36514, पृष्ठ–30 Abstract) को दूसरे चलत बिल के Abstract of Cost में अग्रेषित करते समय वर्णित कार्य मद की कुल कार्य प्रमात्रा 151.87 वर्ग मीटर को 157.87 वर्ग मीटर अग्रेषित किया गया थाः माप पुस्तिका संख्याः 36516, पृष्ठ–73 Abstract of Cost जो कि 6.00 वर्ग मीटर अधिक थी। अतः इस लिपिकीय त्रुटी के कारण ठेकेदार को 6.00 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का ₹150 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹900 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी अब उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**34.3**

| | | |
|---|---|---|
| ठेकेदार का नाम | : | Sh. Arvind Kumar Bansal-Nahan (HP) |
| वाऊचर संख्या | : | 52, दिनांक 17.11.14 = ₹13,84,448 |
| कार्य का नाम | : | Repair & Restoration of road from PWD Rest House to Library Chowk |

चलत बिल संख्या : $1^{st}$ & Final

माप पुस्तिका संख्या : 36520, पृष्ठ– 20 to 22 Abstract, R/E MB-36512 P-67 to 72

कार्य मद संख्याः 1 (माप पुस्तिका संख्याः 36520, पृष्ठ–20 Abstract of Cost) "Earthwork in excavation for structures as per drawing & technical specifications clause 305-1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material-ordinary soil upto 3m depth etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 44.76 घन मीटर का ₹179.41 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹8030 का भुगतान किया गया था। निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 3.05 घन मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹547 बनता है जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| गणना जिसका भुगतान किया गया | सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था | अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा | दर प्रति घन मीटर (₹ में) | अधिक भुगतान की राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1x11.30x0.30x0.10=3.39cum | 1x11.30x0.30x0.10 = 0.34 cum | 3.05 cum | 179.41 | 547.00 |

**34.3.1** कार्य का नाम : Repair & Restoration of road from canteen DC office to SDM office in NHN Town

चलत बिल संख्या : $2^{nd}$ & Final

माप पुस्तिका संख्या : 36520, पृष्ठ–12 से 15, 22 और 23 Abstract, R/E MB-36512, P-59 to 62

कार्य मद संख्याः 3 (माप पुस्तिका संख्याः 36520, पृष्ठ–14 Abstract of Cost) "P/L tack coat with paving of Bitumen VG-10 grade etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 2987.28 वर्ग मीटर का ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹1,19,491 की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 36512, पृष्ठ–60 से 61 तक पर दर्ज दूसरे चलत बिल की 855.95 वर्ग मीटर निष्पादित कार्य प्रमात्रा की विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना व योग में त्रुटि के कारण 115.92 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था। चूंकि कार्य की मद संख्याः 2/Extra "P/L and rolling of built up spray grout layer over prepared surface consisting of two layers

by mechanical means etc.” (माप पुस्तिका संख्याः 36512, पृष्ठ–62 Abstract of Cost) की निष्पादित कार्य प्रमात्रा भी उक्त वर्णित मद संख्याः 3 के बराबर 855.95 वर्ग मीटर ही ली गयी थी इसलिए वर्णित गणना का त्रुटि के कारण इन कार्य मदों में भी ठेकेदार को 115.92 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का अधिक भुगतान किया गया था जोकि निम्न विवरण अनुसार कुल ₹43,064 बनता है जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| कार्य मद का नाम व संख्या | गणन जिसका भुगतान किया गया | सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था | अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा | दर प्रति वर्ग मीटर (₹ में) | अधिक भुगतान की राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L tack coat with paving of bitumen VG-10 grade etc(3) | (i)1x2.90x4.25=123.25 sqm (ii) Total Qty = 855.95 sqm (P-61 R/E) | (i)1x2.90x4.25 =12.33sqm (ii)Total Qty. = 850.95 sqm | (i)110.92 sqm (ii)5.00sqm Total=115.92 sqm | 40.00 | 4637.00 |
| P/L and rolling of built up spray grout layer over prepared surface (2/Extra) | (i)1x2.90x4.25=123.25 sqm (ii)Total Qty.=855.95 sqm (P-62, R/E) | (i)1x2.90x4.25 =12.33 sqm (ii)Total Qty. = 850.95 sqm | (i)110.92 sqm (ii)5.00 sqm Total=115.92 sqm | 331.50 | 38457.00 |
| | | | | **Total** | **₹43,064.00** |

**34.3.2** कार्य मद संख्याः 1/Extrac (माप पुस्तिका संख्याः 36520, पृष्ठ–13 Abstract of Cost) “Earthwork in excavation for structures as per drawing & technical specifications clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable materal-ordinary soil upto 3m depth etc.” की कुल कार्य प्रमात्रा 62.17 घन मीटर का ₹179.41 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹11,154 की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 36512, पृष्ठ–59 से 60 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि योग की गणना में त्रुटि के कारण निष्पादित कार्य प्रमात्रा 62.17 घन मीटर की अपेक्षा 58.27 घन मीटर बनता है तथा इस प्रकार 3.90 घन मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था

जोकि ₹179.41 प्रति घन मीटर की दर से ₹700 बनता है जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **35** | **ठेकेदार का नाम** | : | Shri Musharraf Durani |
| | **वाऊचर संख्या** | : | 54, दिनांक 18.11.14 = ₹2,32,936 |
| | **कार्य का नाम** | : | C/o drain near the H/O Sh. K.C.Garg & Sh. Amar Singh in Mohalla Sunder Bag Colony W.No. 1 of NHN Town |
| | **चलत बिल संख्या** | : | 2nd & Final |
| | **माप पुस्तिका संख्या** | : | 36516, पृष्ठ–78&82 Abstract, 76 से 77 तक R/E |

**ठेकेदार से औचित्यहीन कार्य करवाने के कारण परिषद को ₹1335 की सम्भावित हानि**

कार्य मद संख्याः 4 (माप पुस्तिका संख्याः 36516, पृष्ठ–79 Abstract of cost) "15mm thick plaser in single coat on rough/fair side of brick work in CM 1:5 etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 43.42 वर्ग मीटर का ₹80 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹3474 की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 36516 और 43371 क्रमशः पृष्ठ–76 और 71 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि ड्रेन के दोनों तरफ बनाई गई इंटों की दीवार के अन्दर की तरफ प्लास्टर का कार्य करवाने के साथ–साथ दीवार के उपर (Top) भी प्लास्टर का कार्य करवाया गया था जबकि उसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि ड्रेन को पूरा ढकने के लिए ईंट की इन दिवारों के उपर RCC 1:2:4 में Slab डाला गया था जिस हेतु अलग से भुगतान कार्य मद संख्याः 7 (माप पुस्तिका संख्याः 36516, पृष्ठ–79 abstract of Cost) के अन्तर्गत किया गया है। अतः निम्न विवरण अनुसार करवाए गए वर्णित प्लास्टर के कार्य का या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस कार्य हेतु ठेकेदार को किए गए ₹1335 की राशि के भुगतान के कारण परिषद को हुई हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| क्रमांक | कार्य मात्रा (वर्ग मी0 में) | भुगतान की दर (₹ में) | कुल राशि (₹ में) | माप पुस्तिका व पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x19.80mx0.23m=9.10 | 80.00 | 728.00 | 36516 & P-76 |
| 2 | 2x16.50mx0.23m=7.59 | 80.00 | 607.00 | 43371 & P-71 |
| | | **कुल जोड** | **1335.00** | |

## 36 बिना पूर्ण औचित्य व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के निर्माण कार्यों की अतिरिक्त मदों के उच्च दरों पर क्रियान्वयन करवाने पर ₹1,19,490 की सम्भावित वित्तीय हानि

चयनित माह के दौरान Repair & Restoration of road से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के अनुमोदन से निम्न वर्णित दो अतिरिक्त कार्य मदों का निष्पादन 40% के प्रीमियम पर करवाया गया था :—

| क्र0 सं0 | अतिरिक्त कार्य मद का नाम | HPSR, 2009 (Road) दर (₹ में) | आबंटन प्रीमियम दर (%में) | अनुमोदित प्रीमियम दर (%में) | भुगतान दर (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Earthwork in excavation for structures as per drawing & technical specifications clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material-ordinary soil upto 3m depth | 128.15 per cum | 64 | 40 | 179.41 |
| 2. | Providing, laying and rolling of built up spray grout layer over prepared base consisting of two layers composite construction of crushed course aggregates using motor grader for aggregate key stone chips spreader may be used with application of bituminous binder after each layer and with key aggregates placed on top of the second layer to serve as a base, conforming to the line, grades and x-sections specified the compacted layer thickness being 75mm as per technical specification clause 505 (B) by mechanical means. | 236.80 per sqm | 64 | 40 | 331.50 |

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :—

**(क)** अतिरिक्त कार्य मद की भुगतान दर HPSR (Road) के Chapter-11 Foundation की item 11.1, excavation for structures पर आधारित थी जोकि न्यायोचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह मद स्ट्रक्चर खड़ा करने हेतु नीव की खुदाई से सम्बन्धित थी जैसा कि कार्य मद की स्पेसिफिकेशन व चैप्टर से भी स्पष्ट विदित होता है तथा वर्णित निर्माण कार्य में ऐसा कोई कार्य अपेक्षित नहीं था जिसमें माप पुस्तिका अनुसार सिर्फ 3 से 4 इंच तक ही खुदाई की गयी थी।

चूंकि निर्माण कार्य केवल मुख्य संड़क के एज (Edge) तक के बरमस (Berms) को भी मेटल (Mettle) करने हेतु तीन से चार इंच तक खुदाई करने से सम्बन्धित था इसलिए हिल रोड चैप्टर 8 की आईटम 8".3". न्यायोचित प्रतीत होती है जिससे कार्य की गुणवता प्रभावित किए बगैर वर्णित कार्य निष्पादित किया जा सकता था ऐसा न करके ठेकेदार को परिषद निधि से अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है;

**(ख)** अतिरिक्त कार्य मद संख्याः "Providing, laying and rolling of built up spray grout layer over prepared base consisting of two layers etc." को वर्णित निर्माण कार्य में सम्मिलित करने का कोई औचित्य ही प्रतीत नहीं होता है जबकि निर्माण कार्य केवल मुख्य सड़क के एज (Edge) तक के बरमस (Berms) को भी मेटल (Mettle) करने का था और मुख्य सड़क के मेटल करने हेतु पहले ही अनुबन्ध में Tack coat, Premix Carpet तथा Seal Coat की कार्य मदें मौजूद थी जिस हेतु ₹302 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को भुगतान किया जाना था। इस प्रकार अवांछित अतिरिक्त कार्य मद को शामिल करके ठेकेदार को उच्च दर ₹331.50 से भुगतान करने के कारण परिषद निधि से अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है।

उक्त वर्णित त्रुटियों/अनियमितताओं के कारण ठेकेदार को परिषद निधि की कास्ट (Cost) पर अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा नगर परिषद निधि के उपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालकर हानि पहुंचाई गई प्रतीत होती है जिसकी पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त वस्तुस्थिति पता लगा कर न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाते हुए वर्णित हानि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| अतिरिक्त कार्य मद का नाम | कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा (वर्ग मीटर में) | भुगतान दर (रु0 प्रति वर्ग मी0 में) | न्यायोचित भुगतान दर (रु0 प्रति वर्ग मी0 में) | भुगतान दर में अन्तर (रु0 प्रति वर्ग मी0 में) | अतिरिक्त वित्तीय बोझ/हानि की राशि (रु0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1) ठेकेदार का नामः Sh. Arvind Kumar Bansal-Nahan (HP)** | | | | | |
| **(A) कार्य का नामः** Repair & Restoration of road from PWD Rest House to Library Chowk<br>**वाऊचर संख्याः** 52, दिनांक 17.11.14 = ₹13,84,448, **चलत बिल संख्याः** 1st & Final<br>**माप पुस्तिका संख्याः** 36520, पृष्ठ–20 से 22 Abstract, **अनुबन्ध संख्याः** 46/2014, दिनांक 27.08.14 | | | | | |
| "Earthwork in excavation for structures as per drawing & technical specifications clause 305.1 | 44.76 cum | 179.41 | 102.76 | 76.65 | 3431.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Providnig, laying and rolling of built up spray grout layer over prepared base consisting of two layers | 890.90 sqm | 331.50 | 302.00 | 29.50 | 26282.00 |

**(B) कार्य का नामः** Repair & Restoration of road from Delhi Gate upto PWD Rest House

**वाऊचर संख्याः** 52, दिनांक 17.11.14 = ₹13,84,448, **चलत बिल संख्याः** 2nd & Final

**माप पुस्तिका संख्याः** 36520, पृष्ठ–16 to 19 Abstract, **अनुबन्ध संख्याः** 44/2014, दिनांक 27.08.14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Earthwork in excavation for structures as per drawing & technical specifications clause 305.1 | 6.31 cum | 179.41 | 102.76 | 76.65 | 484.00 |

**(C) कार्य का नामः** Repair & Restoration of road from Canteen DC office upto SDM office

**वाऊचर संख्याः** 52, दिनांक 17.11.14 = ₹13,84,448, **चलत बिल संख्याः 2nd & Final**

**माप पुस्तिका संख्याः** 36520, पृष्ठ–12 से 15 और 22–23 Abstract, **अनुबन्ध संख्याः** 43/2014, दिनांक 27.08.14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Earthwork in excatation for structures as per drawing & technical specifications clause 305.1 | 62.17 cum | 179.41 | 102.76 | 76.65 | 4765.00 |
| Providing, laying and rolling of built up spray grout layer over prepared base consisting of two layers | 855.95 sqm | 331.50 | 302.00 | 29.50 | 25251.00 |

**(D) कार्य का नामः** Repair & Restoration of road from Library Chowk upto SFDA Hall

**वाऊचर संख्याः** 67, दिनांक 25.11.14 = ₹7,91,129, **चलत बिल संख्याः 1st & Final**

**माप पुस्तिका संख्याः** 36520, पृष्ठ–30 और 31 Abstract,

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Earthwork in excavation for structures as per drawing & technical specifications clause 305.1 | 51.35 cum | 179.41 | 102.76 | 76.65 | 3936.00 |
| Providing laying and rolling of built up spray grout layer over | 577.79 sqm | 331.50 | 302.00 | 29.50 | 17045.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| prepared base consisting of two layers | | | | | |

**(2) ठेकेदार का नामः M/S Gorakh Constructions- Majra, Paonta (HP)**

**(A) कार्य का नामः** Repair & Restoration of road from Excise office to Circuit House (RD 0/125 to 355) **वाऊचर संख्याः** 68, दिनांक 26.11.14 = ₹406,945, **चलत बिल संख्याः** 1st & Final **माप पुस्तिका संख्याः** 36512, पृष्ठ–84&85 Abstract, **अनुबन्ध संख्याः** 41/2014, दिनांक 27.08.14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Earthwork in excavation for structures as per drawing & technical specifications clause 305.1 | 9.08 cum | 179.41 | 102.76 | 76.65 | 695.00 |
| Providing laying and rolling of built up spray grout layer over prepared base consisting of two layers | 113.51 sqm | 331.50 | 302.00 | 29.50 | 3349.00 |

**(B) कार्य का नामः** Repair & Restoration of road from PP Gunnughat upto Excise Office (RD 0/0 to 0/125) **वाऊचर संख्याः** 69, दिनांक 27.11.14 = ₹13,62,902, **चलत बिल संख्याः** 1st & Final **माप पुस्तिका संख्याः** 36512, पृष्ठ–82&83 Abstract, **अनुबन्ध संख्याः** 40/2014, दिनांक 27.08.14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Earthwork in excavation for structures as per drawing & technical specifications clause 305.1 | 42.54 cum | 179.41 | 102.76 | 76.65 | 3261.00 |
| Providing laying and rolling of built up spray grout layer over prepared base consisting of two layers | 531.25 sqm | 331.50 | 302.00 | 29.50 | 15672.00 |

**(C) कार्य का नामः** Repair & Restoration of road from Main gate Hospital to DC Residence upto PP Gunnughat upto Excise Office (RD 0/355 to 0/706) **वाऊचर संख्याः** 69, दिनांक 27.11.14 = ₹13,62,902, **चलत बिल संख्याः 1st & Final माप पुस्तिका संख्याः** 36512, पृष्ठ–86&87 Abstract, **अनुबन्ध संख्याः** 42/2014, दिनांक 27.08.14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Earthwork in excavation for structures as per drawing & | 34.39 cum | 179.41 | 102.76 | 76.65 | 2636.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| technical specifications clause 305.1 | | | | | |
| Providing laying and rolling of built up spray grout layer over prepared base consisting of two layers | 429.93 sqm | 331.50 | 302.00 | 29.50 | 12683.00 |

**₹1,19,490.00**

## 37 कार्य प्रमात्रा को दोबार मापने के कारण संविदाकार को राशि ₹2.60 लाख का अधिक भुगतान करना

| | | |
|---|---|---|
| **ठेकेदार का नाम** | : | Sh. Jagmohan Khanduja-Majra, Paonta |
| **कार्य का नाम** | : | Development of Muck Dumping site Ward No. 12 of NHN Town |
| **अनुबन्ध संख्या** | : | 01/2013, दिनांक 22.03.2013 = ₹53,02,140 i.e. 14.19% above HPSR 2009. |
| **चलत बिल संख्या** | : | 1st to 4th |
| **माप पुस्तिका संख्या** | : | 36,516, पृष्ठ–21&22, 48 to 50, 36519, पृष्ठ–48 से 51 तक & 36522, पृष्ठ–64 से 67, 50 तक Abstract & R/E) |

वर्णित निर्माण कार्य का उपलबध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ विस्तृत अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि वायर क्रैट्स की दिवार के निर्माण का कार्य 50 मीटर की लम्बाई में 3 Faces में किया गया था। face (C) के तकनीकी तौर पर अनुमोदित x-section अनुसार वायर क्रैट्स की दिवार के निर्माण का कार्य 9 परतों (Layers) में किया जाना अपेक्षित था (**परिशिष्ट संख्या–"न"**) यथनुसार निर्माण कार्य की निम्न वर्णित कार्य मदों का निष्पादन/भुगतान धरातल से प्रथम तीन परतों का तो 50 मीटर की लम्बाई के लिए ही किया गया था किन्तु चौथी परत के लिए यह भुगतान निम्न विवरण अनुसार 87.5 मीटर की लम्बाई के लिए किया गया जोकि प्रथम परत की लम्बाई से 37.5 मीटर अधिक है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार चौथी परत की 37.5 मीटर की लम्बाई के लिए ₹2,59,898 की राशि का दो बार भुगतान किया गया है जिसका छानबीन उपरान्त या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर अनियमित रूप से किए गए अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| कार्य मद का विवरण | कार्य प्रमात्रा जिसका भुगतान किया गया | | | कार्य प्रमात्रा जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था | अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा | दर (रु0 में) | अधिक भुगतान की राशि (रु में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | माप पुस्तिका सं0 36516, पृ0–47 (2nd R/bill) | माप पुस्तिका सं0 36519, पृ0 48 (3rd R/Bill) | कुल कार्य प्रमात्रा | | | | |
| Wire Crates of G.I. Wire (item no. 3) | 15x2x2.50x3.90 =292.50 sqm 15x2x2.50x1.20 =90.00 sqm 15x2x3.90x1.20 =140.40 sqm **Total=522.90 sqm** | 2x20x2.50x3.90 =390.00 sqm 2x20x2.50x1.20 =120.00 sqm 2x20x3.90x1.20 =187.20 sqm **Total=697.20 sqm** | 1220.10 sqm | 2x20x2.50x3.90 =390.00 sqm 2x20x2.50x1.20 =120.00 sqm 2x20x3.90x1.20 =187.20 sqm **Total=697.20 sqm** | 522.90 sqm | 200 per sqm | 104580 |
| Wire crates filled with boulders (item no.2) | 5x2.50x3.90x1.20 =175.50 cum | 20x2.50x3.90x1.20 = 234.00 cum | 409.50 cum | 20x2.50x3.90x 1.20=234.00 cum | 175.50 cum | 885 per cum | 155318 |
| | | | | | | | **259898** |

## 37.1 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना मिट्टी की खुदाई हेतु ₹27,649 की Deviation राशि का ठेकेदार को अनाधिकृत भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ विस्तृत अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि वायर क्रैट्स की दिवार के निर्माण का कार्य 50 मीटर की लम्बाई में 3 faces में किया गया था। तकनीकी तौर पर अनुमोदित x-section अनुसार face (b) की वायर क्रैट्स की दिवार के निर्माण के कार्य हेतु मिट्टी की खुदाई 50x4.50 मीटर की लम्बाई–चौड़ाई में की जानी अनुमोदित थी (**परिशिष्ट संख्या–''न''**) जिसके अनुसार यह कार्य अनुमानित कार्य प्रमात्रा $1x50x4.50x\frac{2.20+1.80}{2}=450cum$ में किया जाना अपेक्षित था किन्तु माप पुस्तिका संख्याः 36522, पृष्ठ–65 पर दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों के अनुसार मिट्टी की खुदाई का कार्य 50x4.50 मीटर की अपेक्षा 51x5.50 मीटर की लम्बाई चौडाई में करवाया गया दर्शाया गया जिस हेतु ठेकेदार को चतुर्थ चलत बिल की मद संख्याः 1 के अन्तर्गत $1x51x5.50x\frac{\frac{2.20+2.50+2.00}{3}+\frac{2.30+3.50+3.10}{3}}{2}=726.49\ cum$ कार्य प्रमात्रा का ₹100 प्रति घन मीटर की दर से ₹72,649 की राशि का भुगतान किया गया (माप पुस्तिका संख्याः 36522 पृष्ठ–67)। मिट्टी की खुदाई हेतु 50x4.50 मीटर की अनुमोदित लम्बाई–चौडाई में किए गए इस बदलाव (Deviation) की न तो सक्षम अधिकारी द्वारा कोई स्वीकृति ही प्रदान की गई और न ही इसका कोई औचित्य बनता है। क्योंकि वायर क्रैटस की दीवार के निर्माण का कार्य 50x4.50मी0 की अनुमोदित लम्बाई–चौडाई में ही किया गया था (माप पुस्तिका संख्याः 36522, पृष्ठ–66) इस प्रकार 276.49

cum (726.49-450cum) कार्य प्रमात्रा की 61.44% deviation से सम्बन्धित ₹27,649 की राशि का भुगतान ठेकेदार को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही किया गया था जोकि अनाधिकृत होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार वर्णित राशि का भुगतान ठेकेदारों को सक्षम प्राधिकारी से Deviation अनुमोदित करवाए जाने के उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित था जोकि अंकेक्षण को प्रस्तुत नही की गई। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए अब या तो सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस अनाधिकृत/औचित्यहीन भुगतान की ₹27,649 की राशि सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 38 विविध अनियमितताओं के कारण ₹241 के अधिक भुगतान की वसूलियां

चयनित माह के व्यय एवम् भुगतान वाऊचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाई गयी निम्नलिखित अनियमितताओं के कारण ₹241 का अधिक भुगतान हुआ था जिसकी वसूली अब सम्बन्धित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

**₹115 के यात्रा भत्ता का अधिक भुगतान**

**(1) श्री अमर प्रकाश, सफाई निरीक्षक (ग्रेड पे ₹1900 तथा मुख्यालय–नाहन)**

दिनांक 14.10.14 को सुबह 11.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक शिमला से मुख्यालय–नाहन को वापसी यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें ₹130 का पूरा ठहराव दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें 70% ₹130 की दर से ठहराव दैनिक भत्ता व 30% ₹60 की दर से यात्रा दैनिक भत्ता के हिसाब से ₹109 देय बनता था इस प्रकार उन्हें ₹21 का अधिक भुगतान हुआ है (वाऊचर संख्याः 60, दिनांक 20.11.14 = ₹680)

इसी प्रकार दिनांक 07.12.13 व 19.02.14 को सुबह 9 बजे से सांय 2.30 बजे तक शिमला से मुख्यालय–नाहन को वापसी यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें प्रत्येक दिन का ₹130 की दर से = ₹260 ठहराव का पूरा दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें 70% ₹130 की दर से ठहराव दैनिक भत्ता व 30% ₹60 की दर से यात्रा दैनिक भत्ता के हिसाब से कुल ₹218 देय बनता था इस प्रकार उन्हें ₹42 का अधिक भुगतान हुआ है (वाऊचर संख्याः 9, दिनांक 04.03.14 = ₹2424)

**(2) श्रीमती नीना गौड़, लिपिक (ग्रेड पे = ₹3200 तथा मुख्यालय–नाहन)**

दिनांक 31.12.13 को सुबह 5.30 बजे से सांय 10.30 बजे तक मुख्यालय–नाहन से शिमला तथा सांय 5.30 बजे से सांय 10.30 बजे तक शिमला से मुख्यालय–नाहन को वापसी यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें ₹160 ठहराव का पूरा दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें 70% ₹160 की दर से ठहराव दैनिक भत्ता व 30% ₹72 की दर से यात्रा दैनिक भत्ता के हिसाब से ₹134 देय बनता था। इस प्रकार उन्हें ₹26 का अधिक भुगतान हुआ है (वाऊचर संख्याः 9, दिनांक 04.03.14=₹2424)

**(3) श्रीमती रूचि शर्मा, लिपिक (ग्रेड पे ₹3200 तथा मुख्यालय–नाहन)**

दिनांक 31.12.13 को सुबह 5.30 बजे से सांय 10.30 बजे तक मुख्यालय–नाहन से शिमला तथा सांय 5.30 बजे से सांय 10.30 बजे तक शिमला से मुख्यालय–नाहन को वापसी यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें ₹160 ठहराव का पूरा दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें 70% ₹160 की दर से ठहराव दैनिक भत्ता व 30% ₹72 की दर से यात्रा दैनिक भत्ता के हिसाब से ₹134 देय बनता था। इस प्रकार उन्हें ₹26 का अधिक भुगतान हुआ है (वाऊचर संख्याः 9, दिनांक 04.03.14=₹2424)

## 38.1 क्रय की गई वस्तुओं का तय दर से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण ₹126 की हानि (वाऊचर संख्याः 57, दिनांक 19.11.14 = ₹36,676)

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाऊचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार क्रय की गई वस्तुओं का तय दर से अधिक दर पर भुगतान किया गया था जिसके कारण परिषद को ₹126 की हानि हुई है जिस अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| बिल नं0/ दिनांक | वस्तु का नाम | क्रय की गई मात्रा | भुगतान दर (रु में) | तय भुगतान दर (रु में) | भुगतान दर में अन्तर (रु में) | अधिक भुगतान की राशि (रु में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3397/11.12.13=Rs.483 | Pendant Holder | 3 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 21.00 |
| 3401/12.12.13=Rs.470 | Pendant Holder | 9 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 63.00 |
| 3548/05.02.14=Rs.480 | Pendant Holder | 6 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 42.00 |
| | | | | | **Total** | **126.00** |

## 39 स्टोर/स्टॉक का नियमित प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के शेष से करेंगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी थी जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उलंघना के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी दुर्विनियोजन/Pilferage की सम्भावना से बचा जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 40 विभागीय निर्माण कार्यों हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं को भण्डार से जारी किए गए लगभग ₹7.02 लाख मुल्य के 2601 बोरी सीमेन्ट की प्राप्ति एवं उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना/दर्शाना

सीमेन्ट भण्डार लेखों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अवधि 01.04.13 से 31.03.15 तक निम्न विवरण अनुसार 2601 सीमेन्ट बैग, जिनका विभागीय निर्गम औसत दर ₹270 अनुसार कुल मुल्य लगभग ₹7,02,270 बनता है, विभिन्न विभागीय निर्माण कार्यों हेतु सम्बधित कनिष्ठ अभियन्ताओं को जारी किए गए थे परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए MAS रजिस्टरों में इन सीमेंन्ट बैग की प्राप्ति एवं उपयोग का कोई भी विवरण दर्ज नहीं पाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 86/2015, दिनांक 27.07.15 द्वारा भी वर्णित विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक परिषद कार्यालय सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करने में असफल रहा जिसके कारण स्टॉक से जारी किए गए सीमेन्ट बैग की प्राप्ति एवं उपयोग की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। वर्णित अभिलेख का रख–रखाव न करना और अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में, सीमेन्ट के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार उचित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख–रखाव व समय–समय पर अद्यतन और अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख की प्रस्तुति भी सुनिश्चित की जाए :–

| क्रमांक | इण्डेंट संख्या | दिनांक | जारी सीमेन्ट बैग की संख्या | सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3206 | 03.04.13 | 25 | 23 |
| 2. | 3210 | 02.05.13 | 100 | 24 |
| 3. | 3215 | 27.05.13 | 100+75=175 | 25 |
| 4. | 3224 | 10.06.13 | 100 | 27 |
| 5. | 3257 | 10.06.13<br>22 | 50 | 28 |
| 6. | 3233 | 29.06.13 | 50 | 30 |
| 7. | 3260 | 12.07.13 | 100 | 30 |
| 8. | 3261 | 12.07.13 | 30 | 30 |
| 9. | 3237 | 02.08.13<br>27 | 35 | 31 |
| 10. | 3238 | 26.08.13<br>27 | 30 | 31 |
| 11. | 3242 | 14.09.13 | 31 | 33 |
| 12. | 3267 | 03.10.13 | 75 | 33 |
| 13. | 3302 | 26.10.13<br>28 | 50 | 35 |
| 14. | 3269 | 06.11.13<br>08 | 30 | 35 |
| 15. | 3272 | 03.12.13<br>05 | 50 | 38 |
| 16. | 3321 | 11.12.13<br>13 | 20 | 39 |
| 17. | 3331 | 21.12.13 | 50 | 40 |
| 18. | 3275 | 20.01.14 | 50 | 42 |
| 19. | 3279 | 11.02.14 | 25 | 43 |
| 20. | 3340 | 12.02.14 | 30 | 43 |
| 21. | 3342 | 18.02.14 | 25 | 44 |
| 22. | 3281 | 28.02.14 | 30 | 44 |
| 23. | 3287 | 20.03.14 | 25 | 45 |
| 24. | 3351 | 28.03.14<br>29 | 25 | 46 |
| 25. | 3297 | 19.05.14 | 50 | 50 |
| 26. | 3298 | 19.05.14 | 20 | 50 |
| 27. | 3367 | 06.06.14 | 25 | 51 |
| 28. | 3368 | 06.06.14 | 15 | 51 |
| 29. | 3300 | 24.06.14 | 50 | 51 |
| 30. | 3371 | 01.07.14 | 100 | 52 |
| 31. | 3401 | 14.07.14 | 50 | 52 |
| 32. | 3402 | 14.07.14 | 25 | 52 |
| 33. | 3403 | 15.07.14 | 25 | 52 |
| 34. | 3404 | 15.07.14 | 100 | 53 |
| 35. | 3405 | 26.08.14 | 150 | 53 |
| 36. | 3406 | 10.09.14 | 150 | 53 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37. | 3374 | 12.09.14 | 150 | 54 |
| 38. | 3375 | 15.09.14 | 25 | 54 |
| 39. | 3409 | 13.10.14 | 75 | 55 |
| 40. | 3410 | 20.10.14 | 20 | 55 |
| 41. | 3411 | 20.10.14 | 30 | 55 |
| 42. | 3415 | 05.11.14 | 50 | 56 |
| 43. | 3417 | 10.11.14 | 50 | 57 |
| 44. | 3428 | 10.12.14 | 30 | 59 |
| 45. | 3431 | 24.12.14 | 25 | 60 |
| 46. | 3436 | 02.01.15 | 5 | 60 |
| 47. | 3438 | 09.01.15 | 50 | 61 |
| 48. | 3443 | 29.01.15 | 25 | 62 |
| 49. | 3447 | 02.02.15 | 40 | 63 |
| 50. | 3380 | 23.02.15 | 30 | 63 |
| 51. | 3386 | 18.03.15 | 25 | 65 |
| | | **कुल योग** | **2601** | |

अन्य निर्माण सामग्री

| क्र0 सं0 | इण्डेंट सं0 | दिनांक | वस्तु का नाम | जारी की गई मात्रा | दर | राशि | सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3210 | 02.05.13 | Steel-8mm | 370 kg | 54.50 | 20165 | 9 |
| | | | 12mm | 900 kg | 37.00 | 33300 | 87 |
| | | | 16mm | 1850 kg | 52.50 | 97125 | 157 |
| 2. | 3237 | 02.08.13 | Steel 10mm | 516 kg | 37.00 | 19092 | 140 |
| 3. | | | Steel 10mm | 335 kg | 37.00 | 12395 | 140 |
| 4. | 3272 | 03.12.13 | Bricks | 500 no. | 5.78 | 2890 | |
| 5. | 3275 | 20.01.14 | Brick | 800 no. | 5.78 | 4624 | |
| | | | Steel 10mm | 200 kg | 37.00 | 7400 | 140 |
| 6. | 3281 | 28.02.14 | Steel 10mm | 80 kg | 37.00 | 2960 | 140 |
| | | | Bricks | 400 no. | 5.78 | 2312 | |
| 7. | 3298 | 19.05.14 | Bricks | 200no. | 5.78 | 1156 | |
| | | | Steel 8mm | 25 kg | 54.50 | 1363 | 187 |
| 8. | 3302 | 26.10.13 | Bricks | 2000no. | 5.78 | 11560 | |
| | | | Steel 10mm | 145 kg | 37.00 | 5365 | 140 |
| | | | Steel 8mm | 20 kg | 54.50 | 1090 | 186 |
| 9. | 3367 | 06.06.14 | Steel 8mm | 50 kg | 54.50 | 2725 | 187 |
| 10. | 3368 | 06.06.14 | Bricks | 500 no. | 5.78 | 2890 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 3375 | 15.09.14 | Bricks | 800 no. | 5.78 | 4624 | |
| | | | Steel 8mm | 175 kg | 54.50 | 9538 | 187 |
| 12. | 3431 | 24.12.14 | Bricks | 300 no. | 5.78 | 1734 | |
| 13. | 3436 | 02.01.15 | Bricks | 900 no. | 5.78 | 5202 | |
| | | | | | **Total** | **₹2,49,510** | |

## 41 नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेन्ट बैगों की विभागीय आपूर्ति की एवज़ में ₹1.59 लाख की राशि की कम वसूली

सीमेन्ट भण्डार के लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेन्ट बैगों की विभागीय आपूर्ति की एवज़ में ₹1,59,030 की राशि कम वसूल की गई थी :–

| ठेकेदार/निर्माण कार्य का नाम | जारी कुल सीमेन्ट बैग | | वसूल सीमेन्ट बैग | कम वसूल सीमेन्ट बैग | निर्गम दर प्रति बैग (₹ में) | कम वसूली गई राशि (रु में) | निर्माण कार्य रजिस्टर व पृष्ठ संख्या | माप पुस्तिका व पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इण्डैंट संख्या व दिनांक | जारी सीमेन्ट बैग | | | | | | |
| श्री राकेश चौधरी | **3211/02.05.13** | 25 | 85 | 5 | 270 | 1350 | 14 P-67 | 36514 P-22to35 |
| C/o Drain in Mohalla Bagichi, W.No. 2, of Nahan Town. | 3221/05.06.13 | 25 | | | | | | |
| | 3236/27.0713 | 40 | | | | | | |
| | **Total** | **90** | | | | | | |
| श्री राजेश कुमार | 3200/16.04.13 | 50 | 46 | 79 | 270 | 21330 | 2 P-84 | 36512 P-55to58 |
| Channelisation of Nallah near Narsingh Dham Temple & H/o Saini, Nanika Bag w.no.12, of Nahan town. | 3292/11.04.14 | 25 | | | | | | |
| | 3299/17.06.14 | 50 | | | | | | |
| | **Total** | **125** | | | | | | |
| श्री मुशर्रफ दुरानी | 3356/05.04.14 | 25 | 70 | 5 | 270 | 1350 | 14 P-91 | 36518 P-17to20 |
| C/o Drain in Mohalla Dhobian, w.no.1, of Nahan Town | 3329/20.12.13 | 50 | | | | | | |
| | **Total** | **75** | | | | | | |
| श्री प्रेम सिंह | 3346/05.03.14 | 200 | 600 | 350 | 270 | 94500 | 15 P-2&18 | 36513 P-1to12 Rest No. recovery till the conlusion of Audit. |
| C/o Parking in Mohalla Naya Bazar, Nahan Town. | 3358/09.04.14 | 200 | | | | | | |
| | 3363/21.05.14 | 100 | | | | | | |
| | 3370/01.07.14 | 150 | | | | | | |
| | 3373/12.09.14 | 100 | | | | | | |
| | 3377/07.10.14 | 100 | | | | | | |
| | 3419/02.11.14 | 100 | | | | | | |
| | **Total** | **950** | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री सुखविंदर सिंह<br>Repair & maintenance of M.C. Rest House w.no. 2, Nahan Town | 3310/21.11.13<br>3240/03.09.13<br>3312/25.11.13<br>3449/21.02.15<br>Less-Transfer<br>**Total** | 10<br>25<br>50<br>50<br>(-)5<br>**130** | 0 | 130 | 270 | 35100 | 15 P-20 | No recovery till the conlusion of Audit. |
| श्री देविन्द्र सिंह<br>C/o Community Hall at Mohalla Haripur w.no.2, Nahan Town | 3437/03.01.15<br>3450/23.02.15<br>**Total** | 50<br>20<br>**70** | 50 | 20 | 270 | 5400 | 15 P-23 | 36525 P-1to11, 14&15 |
| | **Grand Total** | | | | | **1,59,030** | | |

अतः कम वसूल की गई राशि का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या अब इस राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 42 नियमानुसार क्रय प्रक्रिया न अपनाकर राशि ₹5.23 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना

वाऊचर संख्याः 62, दिनांक 20.03.2014 द्वारा सीमित निविदाओं के आधार पर न्यूनतम निविदाकर्त्ता से ₹5,22,799 की निर्माण कार्य सामग्री जैसे रेत, ईंट, बजरी, पत्थर इत्यादि का क्रय करने हेतु भुगतान किया गया था। अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचना व अभिलेख से विदित हुआ कि एक वित्तीय वर्ष के लिए निर्माण कार्य सामग्री की आपूर्ति करने हेतु सीमित निविदाएँ आमंत्रित की गई थी तथा न्यूनतम निविदाकर्त्ताओं से एक वर्ष में ₹5,22,799 से अधिक की राशि की निर्माण कार्य सामग्री का क्रय किया गया था। चूंकि क्रय की गई सामान की राशि एक लाख से अधिक व आपूर्ति की अवधि 1 वर्ष थी इसलिए नियमानुसार खुली निविदाएँ अखबार के माध्यम से मंगवाई जानी चाहिए थी ताकि वास्तविक पूर्ण प्रतियोगात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जा सकता। अतः नियमानुसार विहित क्रय प्रक्रिया की उल्लंघना करके जो अनियमित व्यय ₹5,22,799 किया गया है उसे अब उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने जाने के साथ–साथ भविष्य में क्रय की उचित विहित प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 43 वाहनों की तय औसत से कम औसत दर्शाने के कारण राशि ₹0.30 लाख का अनियमित व्यय

कार्यकारी अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–"प"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार विभागीय गाड़ी (जीप) संख्याः HP-18-0381 की मासिक तेल खपत 5.5 कि0मी0 प्रति लीटर तथा Dumper Placer संख्याः HP-71-1736 की मासिक तेल खपत 3.5 कि0मी0 प्रति लीटर निर्धारित

की गई थी किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित माह में तय औसत से कम औसत दर्शाई गई थी जोकि अनियमित है तथा इसके परिणामस्वरूप 576.48 ली0 डीजल, जिसका ₹52.60 प्रति लीटर की औसतन दर से लगभग ₹30,323 मुल्य बनता है, की तेल खपत अधिक की गई जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अनियमित व्यय की राशि की पूर्ण छानबीन उपरान्त सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| माह | वाहन द्वारा तय कुल दूरी (कि0मी0 में) | डीजल की कुल खपत (लीटर में) | तेल खपत वास्तविक औसत (प्रति कि0 मी0/ लीटर में) | तेल खपत की तय औसत (प्रति कि0 मी0 /लीटर में) | डीजल की कुल खपत जो तय औसत अनुसार होनी चाहिए (लीटर में) | अधिक तेल खपत की मात्रा (लीटर में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (क) (जीप) संख्याः **HP-18-0381** | | | | | | |
| 6/2013 | 666 | 150.12 | 4.44 | 5.5 | 121.09 | 29.03 |
| 1/2014 | 1085 | 221.75 | 4.89 | 5.5 | 197.27 | 24.48 |
| 2/2014 | 1072 | 311.00 | 3.43 | 5.5 | 195.00 | 116.00 |
| 4/2014 | 700 | 221.24 | 3.29 | 5.5 | 127.27 | 93.97 |
| 5/2014 | 2350 | 465.00 | 5.05 | 5.5 | 427.00 | 38.00 |
| 7/2014 | 645 | 223.60 | 2.88 | 5.5 | 117.27 | 106.33 |
| 10/2014 | 965 | 215.00 | 4.70 | 5.5 | 175.00 | 40.00 |
| 11/2014 | 1272 | 311.00 | 4.09 | 5.5 | 231.00 | 80.00 |
| 2/2015 | 931 | 204.82 | 4.54 | 5.5 | 169.27 | 34.55 |
| (ख) **Dumper Placer संख्याः HP-71-1736** | | | | | | |
| 11/2014 | 1529 | 450.98 | 3.39 | 3.5 | 436.86 | 14.12 |
| | | | | | **कुल जोड़** | **576.48** |

## 44 वाहन में भरे गये डीजल को माहवार औसत की गणना में न लेने के परिणाम स्वरूप ₹1994 की राशि के डीजल का सम्भावित दुर्विनियोजन

वाहन (Dumper Placer) संख्याः HP-18-4981 की लॉग बुक का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि माह 11/2014 में वाहन हेतु कुल 120.38 लीटर डीजल क्रय किया गया था किन्तु माह के अन्त में केवल 82.47 लीटर ही डीजल औसत खपत की गणना हेतु लिया गया अर्थात कैश मेमो संख्याः 6111, दिनांक 07.11.14 द्वारा क्रय 37.91 लीटर डीजल गणना में नहीं लिया गया था। अतः इस अनियमितता के परिणामस्वरूप ₹1994 (37.91लीटर x ₹52.60 प्रति लीटर की दर से) की राशि के डीजल का

सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया है जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 45 लॉग बुकों से सम्बन्धित विविध अनियमितताएं

**(क)** कार्यकारी अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–''प''** में वर्णित विभिन्न वाहनों की उपलब्ध करवाई गई लॉग बुकों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि वाहनों द्वारा विभिन्न स्थानों तक तय की गई दूरी को एक मुश्त दर्शाया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार लॉग बुक में वाहन द्वारा Point to Point तय प्रत्येक दूरी को स्पष्ट रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित था तथा ऐसा न करके वाहन द्वारा तय दूरी की औचित्यता स्पष्ट नहीं होती। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वाहन द्वारा प्रत्येक तय दूरी का लॉग बुकों में स्पष्ट रूप में विवरण दर्शाकर तय की गई कुल दूरी की सत्यापना सक्षम अधिकारी से करवाई जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही लॉग बुकों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख)** कार्यकारी अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–''प''** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार विभागीय गाड़ी संख्याः (जीप) HP-18-0381 की मासिक तेल खपत 5.5 कि0मी0 प्रति लीटर निर्धारित की गई है किन्तु लॉग बुक के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित माह में औसत तय औसत से कही ज्यादा प्राप्त हुई है जिसके कारण तय की गई औसत सही प्रतीत नहीं होती है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि वाहन की नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर नवीनतम औसत निर्धारित की जाए और यदि नवीनतम औसत अनुसार पूर्व में वाहन की दर्शाई गई औसत कम पाई जाए तो अधिक तेल की खपत की गणना अपने स्तर पर करके उसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

| माह | औसत |
|---|---|
| 4/2013 | 6.03 |
| 5/2013 | 6.05 |
| 7/2013 | 6.01 |
| 8/2013 | 6.03 |
| 9/2014 | 6.16 |
| 12/2014 | 8.08 |

| | |
|---|---|
| 01/2015 | 6.37 |
| 03/2015 | 8.31 |

46 **लघु आपति विवरणिका :–** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

47 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय–समय पर अध्यतन (Updation) एवं पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्यवाही करने की नितांत आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(15)4/86–खण्ड–6–1253–1254, दिनांकः 19.02.16 शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा 1(ख) पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

**पंजीकृत** 2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती हैं कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
सीानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

## अंकेक्षण प्रतिवेदन 1(ग) में सन्दर्भित

**(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1960 से 3/1961**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 4(ए)(1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 4(ए)(2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 4(ए)(3) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 4(बी) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 8 | अनिर्णीत |

**(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1965 से 03/1967**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7 | अनिर्णीत |

**(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1969 से 11/1970**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7 | अनिर्णीत |

**(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/1970 से 3/1972**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 4 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 7(ए) | अनिर्णीत |

**(ड़) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1972 से 3/1976**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 8(iii) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 19(ए) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 9(आर) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 9(एफ) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 9(एच) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 12(ए) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 13(बी) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 13(डी) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 13(ई) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 13(एफ) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 13(जी) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 13(एच) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 13(आई) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 13(जे) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 13(के) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 13(एल) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 13(एम)व(एन) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 14(ए) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 14(बी) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 19(7) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 19(8) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 19(20) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 19(21) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 19(22) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 21 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 27 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 30 | अनिर्णीत |

**(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1976 से 3/1982**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 3(डी)(1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 3(डी)(2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 9(2) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 20(ई) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 20(एफ) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 20(जी) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 20(एच) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 20(जे) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 23(4) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 23(30) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 23(32) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 23(35) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 23(38) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 23(46) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 26 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 29 | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 31 | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 32(बी) | अनिर्णीत |

**(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1984**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 15(बी) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 15(एफ) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 17(4) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 17(5) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 17(13) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 17(14) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 17(22) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 17(29) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 18(22) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 22(ए) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 22(बी) | अनिर्णीत |

**(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 14(4) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 14(5) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 14(6) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 15(4) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 20 | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | पैरा 21 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 23 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 24(ई) | अनिर्णीत | |

**(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1986**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3(डी)(1) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 5 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 6 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 7(बी) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 8 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 9 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 14 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 17(बी) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 19 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 20 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 21(बी) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 21(एफ) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 21(जे) | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 22(ए) | अनिर्णीत | |

**(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1990**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 7 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 8 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 11 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 12 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 14 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 19(2) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 24 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 25 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 26 | अनिर्णीत | |

**(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1992**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 5 | आंशिक निर्णीत | (सरकारी अनुदानों से बची राशि को वापिस सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया) |
| 2 | पैरा 6 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 7(क) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 8(ग)(1) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 8(ग)(3) | आंशिक निर्णीत | (सफेदी करवाने के लिए मस्टरोल संख्याः 104 से कार्य की समस्त जाँच नहीं की गई) |
| 6 | पैरा 8(ड़) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 9(क)(1) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 9(क)(3, 4) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 9(ख)(ग) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 10(ख)(ग) | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 11(क)(ख)(1से 5) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 12(क)(15) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 12(क)(19) | अनिर्णीत | |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | पैरा 12(क)(21 से 23) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 13(घ) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 16(ख)(1) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 16(ग)(घ) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 20(क)(5) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 21(क) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 21(ख)(1) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 21(ग से ज) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 24 | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 27(ख) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 30 | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 31 | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 32 | अनिर्णीत |

**(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1995**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5(क)(iv) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5(ज) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6(i) से (iv) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 7(ग)(i)(ii) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 13(क)(v) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 13(फ)(vi) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 13(फ)(vii) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 13(एफ)(ix) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 13(म)(i से vi) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 15(क से ड़) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 16(ड़)(i से vi) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 16(च)(i) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 17(क)(i)(ii) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 17(ख)(i to v) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 17(ग)(i to v) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 21(iv to ix) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 22(iii) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 27 | अनिर्णीत |

**(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2003**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6(1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6(2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6(3) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 9 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 13(4) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 14(6) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 19(1) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 19(2)(3) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 19(5) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 20(5) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 20(6) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 20(7) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 20(8) | अनिर्णीत |

**(ढ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2007**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 2 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 3(i,ii) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 4(ii to ix) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 4(x)(a) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 4(xi)(a & b) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 4(xii)(a to f) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 4(xv) & 4(xvi) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 5(i to ii) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 5(iv) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 5(viii) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 5(ix) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 5(xix) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 5(xxiv) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 6(iv to vi) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 6(viii to xiv) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 6(xvii to xviii) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 7(ii)(ख) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 7(vii to viii) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 7(xi to xviii) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 8(i & ii) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 8(iii) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 10 | अनिर्णीत |

**(ण) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 4 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 13 | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | पैरा 14 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 16 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 18 | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 24 | अनिर्णीत | |

**(त) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत) |
| 2 | पैरा 4(क)से(ग) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त) |
| 3 | पैरा 4(1) | निर्णीत | (रोकड़ बही में दिनांक 30.6.13 को वर्णित लेन–देन की आवश्यक प्रविष्टि करने पर निर्णीत) |
| 4 | पैरा 4(2) | निर्णीत | (रोकड़ बही में दिनांक 30.04.13 को वर्णित व्यय की आवश्यक प्रविष्ठी करने पर निर्णीत) |
| 5 | पैरा 4(3) | निर्णीत | (रोकड़ बही में दिनांक 31.03.14 को वर्णित व्यय की आवश्यक प्रविष्टि करने पर निर्णीत) |
| 6 | पैरा 4(4) | निर्णीत | (वर्णित आय की राशि दोबारा प्राप्त होने व बैंक में जमा होने पर निर्णीत) |
| 7 | पैरा 4(5) | निर्णीत | (वर्णित राशि की रसीद संख्याः 32/199, दिनांक 24.12.12 द्वारा वापिस प्राप्त होने पर निर्णीत) |
| 8 | पैरा 4(6) | निर्णीत | (वर्णित व्यय के वाऊचरों का अभिलेख से सत्यापन तथा अवितरित राशि परिषद निधि में जमा करने पर निर्णीत) |
| 9 | पैरा 4(7) | निर्णीत | (वर्णित राशि रोकड़ बही व बैंक में दो बार जमा करने सम्बन्धी तथ्य की अभिलेख से पुष्टि करने पर निर्णीत) |
| 10 | पैरा 4(8) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त) |
| 11 | पैरा 4(9) | निर्णीत | (अंकेक्षण के सुझावानुसार कृत कार्यवाही की सत्यापना करने पर निर्णीत) |
| 12 | पैरा 4(10क और ख) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 5(1) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 5(2) | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 5(3) | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 6(क)(1) | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा 6(क)(2) | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 6(ख) | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 7 | निर्णीत | (वर्णित राशि की वसूली व बैंक में जमा पाए जाने पर निर्णीत) |
| 20 | पैरा 8(1) | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 8(2) | निर्णीत | (वर्णित राशि की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली करने पर निर्णीत) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | पैरा 8(3) | निर्णीत | (वर्णित राशि की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली करने पर निर्णीत) |
| 23 | पैरा 8(4) | निर्णीत | (वर्णित राशि की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली करने पर निर्णीत) |
| 24 | पैरा 8(5) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 8(6) | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा 8(7) | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा 8(8) | निर्णीत | (वर्णित राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने पर निर्णीत) |
| 28 | पैरा 8(9) | निर्णीत | (वर्णित राशि की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली करने पर निर्णीत) |
| 29 | पैरा 8(10 क और ख) | अनिर्णीत | |
| 30 | पैरा 8(11) | निर्णीत | (वर्णित राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने पर निर्णीत) |
| 31 | पैरा 8(12) | अनिर्णीत | |
| 32 | पैरा 9 | अनिर्णीत | |
| 33 | पैरा 10(क) और (ख) | अनिर्णीत | |
| 34 | पैरा 11 | अनिर्णीत | |
| 35 | पैरा 12 | अनिर्णीत | |
| 36 | पैरा 13 | अनिर्णीत | |
| 37 | पैरा 14(क) और (ख) | अनिर्णीत | |
| 38 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 39 | पैरा 16 | अनिर्णीत | |
| 40 | पैरा 17 | अनिर्णीत | |
| 41 | पैरा 18(1) | अनिर्णीत | |
| 42 | पैरा 18(2) | अनिर्णीत | |
| 43 | पैरा 18(3) | अनिर्णीत | |
| 44 | पैरा 18(4) | अनिर्णीत | |
| 45 | पैरा 18(5) | निर्णीत | (सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्णीत) |
| 46 | पैरा 18(6) | निर्णीत | (सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा अवधि सत्यापन सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सत्यापना करने पर निर्णीत) |
| 47 | पैरा 19 | अनिर्णीत | |
| 48 | पैरा 20(1)(क) | अनिर्णीत | |
| 49 | पैरा 20(1)(ख) | अनिर्णीत | |
| 50 | पैरा 20(1)(ग) | अनिर्णीत | |
| 51 | पैरा 20(1)(घ) | अनिर्णीत | |
| 52 | पैरा 20(1)(ड़) | अनिर्णीत | |
| 53 | पैरा 20(2) | अनिर्णीत | |
| 54 | पैरा 20(3) | अनिर्णीत | |
| 55 | पैरा 20(4) | अनिर्णीत | |
| 56 | पैरा 20(5) | अनिर्णीत | |
| 57 | पैरा 20(6) | अनिर्णीत | |
| 58 | पैरा 20(7) | अनिर्णीत | |
| 59 | पैरा 20(8) | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60 | पैरा 20(9) | अनिर्णीत | |
| 61 | पैरा 20(10) | अनिर्णीत | |
| 62 | पैरा 20(11) | अनिर्णीत | |
| 63 | पैरा 21(1) | अनिर्णीत | |
| 64 | पैरा 21(2) | अनिर्णीत | |
| 65 | पैरा 21(3) | अनिर्णीत | |
| 66 | पैरा 21(4) | अनिर्णीत | |
| 67 | पैरा 22 | अनिर्णीत | |
| 68 | पैरा 23 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त) |
| 69 | पैरा 23(क)(i) | अनिर्णीत | |
| 70 | पैरा 23(क)(ii) | अनिर्णीत | |
| 71 | पैरा 23(क)(iii) | अनिर्णीत | |
| 72 | पैरा 23(1) | निर्णीत | (वर्णित राशि की सम्बन्धित पैन्शनरों से वसूली करने पर निर्णीत) |
| 73 | पैरा 23(2) | निर्णीत | (वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत) |
| 74 | पैरा 23(3) | अनिर्णीत | |
| 75 | पैरा 23(4) | अनिर्णीत | |
| 76 | पैरा 23(5)(क) | अनिर्णीत | |
| 77 | पैरा 23(5)(ख) | अनिर्णीत | |
| 78 | पैरा 23(5)(ग) | अनिर्णीत | |
| 79 | पैरा 23(6)(क) | अंशतः निर्णीत | (केवल श्री रोशन अली से ₹10617 की राशि वसूली हेतु शेष है।) |
| 80 | पैरा 23(6)(ख) | निर्णीत | (वर्णित राशि की सम्बन्धित पैन्शनरों से वसूली करने पर निर्णीत) |
| 81 | पैरा 23(6)(ग) | निर्णीत | (अंकेक्षण के सुझावानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने पर निर्णीत |
| 82 | पैरा 23(6)(घ) | निर्णीत | (अंकेक्षण के सुझावानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने पर निर्णीत) |
| 83 | पैरा 24(1) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त) |
| 84 | पैरा 24(2) | अनिर्णीत | |
| 85 | पैरा 24(3) | अनिर्णीत | |
| 86 | पैरा 24(4) | अनिर्णीत | |
| 87 | पैरा 25(क) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त) |
| 88 | पैरा 25(ख) | अनिर्णीत | |
| 89 | पैरा 26क) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त) |
| 90 | पैरा 26(ख) | अनिर्णीत | |
| 91 | पैरा 26(1) | अनिर्णीत | |
| 92 | पैरा 26(2) | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 93 | पैरा 27 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त) |
| 94 | पैरा 28(क) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त) |
| 95 | पैरा 28(ख) | अनिर्णीत | |
| 96 | पैरा 29(क) | निर्णीत | (वर्णीत राशि की वसूली करने पर निर्णीत) |
| 97 | पैरा 29(ख) | अनिर्णीत | |
| 98 | पैरा 30 | अनिर्णीत | |
| 99 | पैरा 31(क) | अनिर्णीत | |
| 100 | पैरा 31(ख) | अनिर्णीत | |
| 101 | पैरा 31(ग) | अनिर्णीत | |
| 102 | पैरा 32 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त) |
| 103 | पैरा 33(क) | अनिर्णीत | |
| 104 | पैरा 33(ख) | अनिर्णीत | |
| 105 | पैरा 33(ग) | अनिर्णीत | |
| 106 | पैरा 34 | अनिर्णीत | |